Drishti IAS

Mains MARATHON

(मुख्य परीक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण प्रश्न-उत्तर) 2024

भारतीय समाज

Delhi
Drishti IAS,
641, Mukherjee Nagar,
Opp. Signature View
Apartment, New Delhi

New Delhi
Drishti IAS,
21, Pusa Road,
Karol Bagh
New Delhi

Uttar Pradesh
Drishti IAS,
Tashkent Marg,
Civil Lines, Prayagraj,
Uttar Pradesh

Rajasthan
Drishti IAS,
Tonk Road,
Vasundhra Colony,
Jaipur, Rajasthan

Madhya Pradesh
Drishti IAS,
Building No. 12, Vishnu Puri,
Main AB Road,
Bhawar Kuan, Indore,
Madhya Pradesh

भारतीय समाज

Q1. जलवायु परिवर्तन से निपटने में महिलाओं की भूमिका के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- बताइये कि जलवायु परिवर्तन से महिलाएँ किस प्रकार प्रभावित हुई हैं तथा महिला पर्यावरणविदों के कुछ उदाहरण देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- मुख्य भाग में बताइये कि पर्यावरण संरक्षण में यह किस प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
- आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:
- जलवायु परिवर्तन से सभी प्रभावित होते हैं लेकिन इसके सबसे विपरीत प्रभाव सबसे कमज़ोर लोगों पर पड़ते हैं। संकट के समय में महिलाएँ अक्सर पीछे रह जाने के साथ अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और घरेलू देखभाल के असमान स्तर के कारण स्वास्थ्य और सुरक्षा के बढ़ते जोखिमों का सामना करती हैं।
- महिलाओं ने कृषि जैव विविधता के संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाई है। 30,000 से अधिक पौधे लगाने वाली और पिछले छह दशकों से पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों में शामिल पर्यावरणविद तुलसी गौड़ा को वर्ष 2021 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुनीता नारायण, रिद्धिमा पांडे और वंदना शिवा कुछ ऐसी महिलाएँ हैं जिनको जलवायु परिवर्तन के समाधान हेतु संघर्ष करने के लिये जाना जाता है।

मुख्य भाग:

जलवायु परिवर्तन से निपटने में महिलाएँ किस प्रकार महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं?
- **ज्ञान और कौशल:** महिलाओं के पास प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि और संरक्षण प्रणालियों से संबंधित मूल्यवान पारंपरिक ज्ञान और कौशल होते हैं। इन्हें स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और सतत् प्रथाओं की काफी समझ होती है जिससे प्रभावी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन रणनीतियों में योगदान मिल सकता है।
- **जागरूकता और नेतृत्व:** महिलाओं के नेतृत्व वाले संगठनों और आंदोलनों ने जागरूकता बढ़ाने, नीतिगत बदलावों पर जोर देने और सतत् प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निर्णय प्रक्रिया में अधिक महिलाओं को शामिल करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जलवायु नीतियाँ और पहल अधिक समावेशी, न्यायसंगत और प्रभावी हों।
  - संसद में उच्च महिला प्रतिनिधित्व वाले देशों की अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण समझौतों का समर्थन करने की अधिक संभावना होती है। कार्यस्थलों पर भी महिलाओं के नेतृत्व से कार्बन फुटप्रिंट और उत्सर्जन की जानकारी के संबंध में अधिक पारदर्शिता देखने को मिलती है।
- **सतत् ऊर्जा:** स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा सुविधाओं तक पहुँच, जलवायु परिवर्तन को कम करने और आजीविका में सुधार दोनों के लिये महत्त्वपूर्ण है। महिलाएँ (विशेष रूप से विकासशील देशों में) ऊर्जा की कमी से अधिक प्रभावित होती हैं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (जैसे कि सौर या पवन ऊर्जा) से संबंधित मामलों में महिलाओं को शामिल करने से अधिक समावेशी और स्थायी समाधान प्राप्त हो सकते हैं।
- **सतत् उपभोग और जीवन शैली को चुनना:** महिलाएँ अक्सर घरेलू उपभोग से संबंधित निर्णयों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपने परिवारों और समुदायों में पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देकर महिलाएँ कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के साथ सतत् विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने में योगदान दे सकती हैं।
- **जलवायु परिवर्तन के शमन हेतु अनुकूलन पर बल देना:** जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों जैसे जल की कमी, खाद्य असुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से अक्सर महिलाएँ सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के बावजूद महिलाओं ने जलवायु संबंधी जोखिमों से निपटने में अनुकूली क्षमता का प्रदर्शन किया है। इनके दृष्टिकोण और अनुभव प्रभावी अनुकूलन रणनीतियों को विकसित करने में योगदान कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

जलवायु संकट के समाधान में महिलाओं की भागीदारी से आर्थिक विकास होने के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम किया जा सकेगा। महिलाओं की भूमिका को प्रोत्साहन देने से न केवल लैंगिक समानता को बल मिलेगा बल्कि संकट की स्थिति में पूर्ण संसाधनों का पूरी क्षमता के साथ उपयोग संभव हो सकेगा।

Q2. भारत में राष्ट्रीय एकता और शासन पर क्षेत्रवाद के प्रभावों की चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- परिचय: क्षेत्रवाद का परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- मुख्य भाग: भारत में क्षेत्रवाद की पृष्ठभूमि को संक्षेप में बताते हुए राष्ट्रीय एकता और शासन पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिये।
- निष्कर्ष: आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

क्षेत्रवाद का आशय लोगों को **किसी क्षेत्र या राज्य विशेष से अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक लगाव होना है जिसमें अक्सर क्षेत्रीय स्वायत्तता या अलग पहचान की मांग** किया जाना भी शामिल होता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में क्षेत्रवाद का राष्ट्रीय एकीकरण और शासन पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

मुख्य भाग:

- **भारत में क्षेत्रवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:**
- **विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों जैसी विविधता** के कारण क्षेत्रीय पहचान का उदय हुआ।
- **1950 के दशक में भाषाई पुनर्गठन और राज्य के दर्जे की मांगों ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को और भी मज़बूत किया।**
  - **उदाहरण: भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना।** जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु।
- **भाषाई आधार पर राज्यों का गठन और बाद में इसमें और भी विभाजन** की मांग क्षेत्रवाद की स्थिति को दर्शाती है।

राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव:

(a) सकारात्मक प्रभाव:

- क्षेत्रीय आकांक्षाओं को मान्यता देने से **वंचित समुदायों को मुख्य धारा में शामिल करने में** मदद मिलती है।
  - **उदाहरण के लिये:** अविकसित क्षेत्रों के समान विकास के लिये तेलंगाना का गठन।
- क्षेत्रीय स्वायत्तता से **शक्तियों का विकेंद्रीकरण** होता है जिससे बेहतर प्रतिनिधित्व और प्रशासन सुनिश्चित होता है।
- **क्षेत्रीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्द्धन से** भारतीय विरासत के समृद्ध होने में सहायता मिलती है।

(b) नकारात्मक प्रभाव:

राष्ट्रीय हितों की तुलना में क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता मिलना।

- उदाहरण के लिये: **कर्नाटक के एक छात्र ने एक विदेशी विश्वविद्यालय में अपने दीक्षांत समारोह के दौरान राज्य का झंडा फहराया।**
- **क्षेत्रीय पहचान को अधिक बल देने से राष्ट्रीय एकता को चुनौती** मिलती है।
  - उदाहरण के लिये: **पंजाब में खालिस्तान आंदोलन।**
- **संघर्ष और अंतर-क्षेत्रीय तनाव** से साझा पहचान और सहयोग की भावना में बाधा उत्पन्न होती है।
  - **उदाहरण के लिये:** केरल और तमिलनाडु के बीच मुल्लापेरियार बांध का मुद्दा।

शासन पर प्रभाव:

(a) प्रशासनिक चुनौतियाँ:

- शक्ति और संसाधनों के विखंडन से प्रशासनिक जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं।
- **अंतर-राज्यीय विवाद और संघर्ष से** सहकारी शासन में बाधा उत्पन्न होती है।
- विविध क्षेत्रीय मांगों के कारण **समान नीतियों को लागू करने में कठिनाई** आती है।
  - **उदाहरण के लिये:** केरल की मांग और जरूरतें बिहार से भिन्न हैं।

(b) नीति निर्माण और कार्यान्वयन:

- क्षेत्रीय दल और नीतिगत निर्णयों पर इनके प्रभाव से **राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की तुलना में क्षेत्रीय हितों को अधिक प्राथमिकता मिल सकती है।**
  - **उदाहरण के लिये: महाराष्ट्र का सन्स ऑफ द सॉइल मूवमेंट।**
- क्षेत्रीय मांगों की परिणति **विशेष आर्थिक पैकेज या अधिमान्य उपचार की मांग के रूप में हो सकती है जिससे समान विकास प्रभावित होता है।**
- **राष्ट्रीय एकता और शासन को मज़बूत करने के उपाय:**
- **केंद्र और राज्य सरकारों के बीच** शक्ति के संतुलित वितरण के साथ संघवाद को मजबूत करना।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के साथ** विभिन्न क्षेत्रों के बीच संवाद के लिये मंच तैयार करना।
- **क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने तथा समान विकास को बढ़ावा देने वाली समावेशी नीतियों** को लागू करना।

निष्कर्ष:

भारत के राष्ट्रीय एकीकरण और शासन पर क्षेत्रवाद के **सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव** पड़ते हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और हाशिये पर स्थित समुदायों को मुख्यधारा में शामिल करने के साथ ही इससे **राष्ट्रीय एकता और सहकारी शासन के समक्ष चुनौतियाँ** उत्पन्न होती है। इन दोनों में सामंजस्यपूर्ण संतुलन सुनिश्चित करने के लिये **संघवाद को मजबूत करने, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने वाली समावेशी नीतियों को लागू करना महत्त्वपूर्ण है।** राष्ट्रीय पहचान की भावना को बढ़ावा देते हुए क्षेत्रीय पहचान की विविधता को अपनाकर भारत, स्थायी राष्ट्रीय एकीकरण के साथ प्रभावी शासन के क्रम में क्षेत्रीयता के अवसरों का उपयोग कर सकता है।

Q3. भारतीय समाज की विविधता और बहुलवाद पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिये। अपने उत्तर के समर्थन में उपयुक्त उदाहरण दीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भूमिका: वैश्वीकरण के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- मुख्य भाग: वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से कैसे प्रभावित किया उदाहरण के देकर वर्णन कीजिये।
- निष्कर्ष: मुख्य बिंदुओं को सारांशित करते हुए निष्कर्ष लिखिये

भूमिका:

वैश्वीकरण वस्तुओं, सेवाओं, सूचना, विचारों और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के माध्यम से देशों और उनकी अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती अंतर्संबंध और अन्योन्याश्रितता को संदर्भित करता है। वैश्वीकरण ने विभिन्न तरीकों से भारतीय समाज की विविधता और बहुलवाद को प्रभावित किया है। इसने संस्कृतियों, विचारों और मूल्यों की परस्पर क्रिया को उज़ागर किया है, जिससे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम उत्पन्न हुए हैं।

मुख्य भाग:
- सकारात्मक पक्ष में, वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान को सक्षम बनाया है। उदाहरण के लिये लोग विभिन्न प्रकार के भोजन का आनंद ले सकते हैं और दुनिया भर में बॉलीवुड फिल्में देख सकते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न संस्कृतियों के बारे में जानने और उनके मतभेदों का सम्मान करने में मदद मिलती है। इसके अलावा, वैश्वीकरण ने शिक्षा और सूचना के प्रसार में वृद्धि की है, जो व्यक्तियों को विभिन्न दृष्टिकोणों तक पहुँचने और पारंपरिक मानदंडों पर सवाल उठाने का अधिकार देता है।
- नकारात्मक पक्ष में, वैश्वीकरण ने भारत की विविधता और बहुलवाद को भी चुनौती दी है। पश्चिमी मूल्यों और उपभोक्तावाद के प्रभुत्व ने विशेष रूप से युवाओं के बीच स्वदेशी संस्कृतियों और परंपराओं को कमज़ोर कर दिया है। इसके अलावा, वैश्वीकरण ने आर्थिक असमानताओं को उत्पन्न किया है, कुछ समूह दूसरों की तुलना में अधिक प्राप्त कर रहे हैं, जिससे सामाजिक विभाजन में वृद्धि हो रही हैं।
- उदाहरण के लिये, बहुराष्ट्रीय निगमों के उद्भव ने पश्चिमी जीवन शैली और उपभोक्ता जैसे विकल्पों को लाया है, जिसने भारतीय समाज के लक्ष्यों और उपभोग की प्रवृत्तियों को आकार दिया है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों का बहिष्कार हुआ है जो बड़े पैमाने पर उत्पादित उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

वैश्वीकरण ने भारतीय समाज की विविधता और बहुलवाद दोनों को बढ़ाया और खतरे में डाल दिया है। जबकि इसने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और जागरूकता को बढ़ावा दिया है, इसने कठिनाइयों और असमानताओं को भी पेश किया है। इसलिये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए वैश्वीकरण के लाभों को स्वीकार करने के बीच संतुलन बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है।

Q4. सामाजिक-आर्थिक कारकों एवं नीतिगत हस्तक्षेपों को ध्यान में रखते हुए, भारत में शहरी गरीबी को दूर करने से संबंधित चुनौतियों और संभावित समाधानों पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- परिचय: शहरी गरीबी को संक्षेप में बताइये।
- **निकाय:** शहरी गरीबी के कारण लोगों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करते हुए इस मुद्दे के समाधान हेतु कुछ नीतिगत उपाय बताइये।
- निष्कर्ष: आगे की राह बताते हुए निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

भारत में शहरी गरीबी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। तीव्र शहरीकरण और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं के कारण हाशिये पर रहने वाले लोगों की समस्याएँ और भी जटिल हो रही हैं। यह एक जटिल और बहुआयामी घटना है जिससे भारत में लाखों लोग प्रभावित हैं। भारत में शहरी गरीबी 25% से अधिक है और शहरी क्षेत्रों में लगभग 81 मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं।

मुख्य भाग:

शहरी गरीबों के समक्ष आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियाँ:
- **बुनियादी सेवाओं तक पहुँच का अभाव:** तीव्र शहरीकरण से मौजूदा बुनियादी ढाँचे पर दबाव पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच प्रभावित होती है।
- **अनौपचारिक रोज़गार:** शहरी गरीब अक्सर अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करते हैं जिससे यह कम वेतन एवं नौकरी की असुरक्षा के साथ शोषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। इससे गरीबी को और भी बढ़ावा मिलता है तथा लोगों के अवसर सीमित हो जाते हैं।
- **लैंगिक असमानता:** शहरी गरीबी से महिलाएँ सबसे अधिक प्रभावित होती हैं। यह भेदभाव, नौकरी के सीमित विकल्पों के साथ संसाधनों एवं सेवाओं की असमान पहुँच के प्रति संवेदनशील होती

हैं। शहरों में महिलाओं को लिंग आधारित हिंसा एवं उत्पीड़न और सामाजिक पूर्वाग्रहों का अधिक जोखिम होता है, जिससे उनकी गरीबी और असमानता को बढ़ावा मिलता है।

- **हाशिये पर जाने के प्रति संवेदनशीलता:** शहरी गरीबों को पर्यावरणीय जोखिम, सामाजिक बहिष्कार एवं हिंसा का सामना करना पड़ता है। यह भीड़-भाड़ वाली वस्तियों में रहते हैं, जिससे यह असमानता के साथ हाशिये वाले समूहों में शामिल होने के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

भारत में शहरी गरीबी को दूर करने के कुछ संभावित समाधान:

- **एकीकृत शहरी नियोजन:** एकीकृत शहरी नियोजन रणनीतियों को लागू करना चाहिये जो समावेशी विकास, बुनियादी सेवाओं के प्रावधान तथा शहरी गरीबों के लिये किफायती आवास को प्राथमिकता देने पर आधारित हों।
- **आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना:** अनौपचारिक क्षेत्र में शहरी गरीबों के लिये स्थायी आजीविका के विकल्प उपलब्ध कराने हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उद्यमिता पहलों को बढ़ावा देना चाहिये।
  - **महात्मा गांधी राष्ट्रीय शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA):** रोज़गार के अवसर सृजित करने और शहरी बुनियादी ढाँचे में सुधार हेतु शहरी स्तर पर मनरेगा को लागू करना चाहिये।
    - राजस्थान में शहरों के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिनों के ऑन-डिमांड कार्य के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु शहरी रोज़गार गारंटी योजना शुरू की गई है।
- **सामाजिक सुरक्षा और कल्याण उपाय:** शहरी गरीबों को पेंशन एवं स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में शामिल करने के साथ आवश्यक सेवाओं और वित्तीय सहायता तक उनकी पहुँच को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- **किफायती आवास:** स्लम उन्नयन परियोजनाओं में निवेश करने एवं किफायती आवास योजनाओं को बढ़ावा देने के साथ रहने की स्थिति में सुधार करने तथा मलिन बस्तियों के प्रसार को रोकने हेतु पुनर्वास योजनाओं को लागू करना आवश्यक है।
  - **प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY):** शहरी गरीबों के लिये किफायती आवास सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करना चाहिये।
- **लैंगिक रूप से संवेदनशील नीतियों को विकसित करना:** ऐसी नीतियों को लागू करना चाहिये जो महिलाओं को सशक्त बनाने एवं संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के साथ निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देती हों।

निष्कर्ष:

भारत में शहरी गरीबी को दूर करने के लिये एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें शहरी नियोजन, सामाजिक सुरक्षा उपाय, मलिन बस्तियों का उन्नयन, स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा सुधार तथा लैंगिक रूप से संवेदनशील नीतियों को विकसित करना शामिल है। इन रणनीतियों और नीतिगत हस्तक्षेपों को लागू करके भारत शहरी गरीबी को कम करने और समावेशी तथा सतत् शहरी विकास को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण प्रगति कर सकता है।

Q5. भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिये। इसने महिलाओं और हाशिये पर रहने वाले समूहों के सामाजिक सशक्तिकरण को किस प्रकार प्रभावित किया है? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- वैश्वीकरण का संक्षिप्त परिचय देते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारतीय समाज पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिये।
- बताइये कि इसने महिलाओं और हाशिये पर रहने वाले समूहों के सामाजिक सशक्तिकरण को किस प्रकार प्रभावित किया है।
- तदनुसार निष्कर्ष दीजिये।

परिचय:

वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच वार्ता, एकता एवं परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति शामिल है। समाज पर वैश्वीकरण के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों परिणाम देखे जाते हैं।

मुख्य भाग:

- **आर्थिक प्रभाव:**
  - वैश्वीकरण से भारत में व्यापार, निवेश, वृद्धि और विकास के नए अवसर सृजित हुए हैं।
  - इससे प्रतिस्पर्धा, असमानता, बेरोज़गारी और पर्यावरणीय क्षरण को भी बढ़ावा मिला है।
  - वैश्वीकरण के लाभ और लागत, समाज के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों के बीच समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं।
- **राजनीतिक प्रभाव:**
  - वैश्वीकरण से वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका और प्रभाव को बढ़ावा मिला है। इससे भारत को आतंकवाद, साइबर अपराध, क्षेत्रीय संघर्ष और मानवाधिकार उल्लंघन जैसी विभिन्न चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है।

- वैश्वीकरण ने भारत में लोकतंत्र, संघवाद और शासन की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित किया है।

- **सामाजिक प्रभाव:**
  - वैश्वीकरण से विश्व भर के लोगों के बीच विचारों, मूल्यों, संस्कृतियों और जीवन शैली का आदान-प्रदान सुविधाजनक हुआ है।
  - इससे प्रवासन, शहरीकरण, उपभोक्तावाद, व्यक्तिवाद और पहचान संकट जैसे नए सामाजिक मुद्दे भी सामने आए हैं। वैश्वीकरण ने भारत में महिलाओं और हाशिये पर रहने वाले समूहों के सामाजिक सशक्तिकरण को भी विभिन्न तरीकों से प्रभावित किया है जैसे:
- **महिलाएँ:**
  - वैश्वीकरण ने महिलाओं को शिक्षा, रोज़गार, उद्यमिता और राजनीति में भाग लेने के अधिक अवसर प्रदान किये हैं। इससे उनकी जागरूकता, गतिशीलता और स्वायत्तता भी बढ़ी है।
  - हालाँकि वैश्वीकरण से महिलाओं को शोषण, भेदभाव, हिंसा और असुरक्षा के नए रूपों का भी सामना करना पड़ा है। इसने महिलाओं की पारंपरिक एवं आधुनिक भूमिकाओं और अपेक्षाओं के बीच संघर्ष भी उत्पन्न हुआ है।
- **वंचित समूह:**
  - वैश्वीकरण ने हाशिये पर रहने वाले कुछ समूहों जैसे कि दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और LGBTQ+ को अपने अधिकारों, पहचान और गरिमा पर बल देने में सक्षम बनाया है।
  - इससे उन्हें नए संसाधनों, नेटवर्क और प्लेटफार्मों तक पहुँच भी प्रदान हुई है।
  - हालाँकि वैश्वीकरण से इनके बहिष्कार और उत्पीड़न को भी बढ़ावा मिला है। इससे उनकी संस्कृति, आजीविका और पर्यावरण को भी खतरा उत्पन्न हुआ है।

निष्कर्ष:

वैश्वीकरण एक जटिल और गतिशील घटना है जिसका भारतीय समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव पड़ा है। इसने महिलाओं और हाशिये पर रहने वाले समूहों के सामाजिक सशक्तिकरण को विभिन्न तरीकों से प्रभावित किया है। भारत के लिये वैश्वीकरण के अवसरों और जोखिमों को संतुलित करने के साथ यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इसके लाभ समाज के सभी वर्गों के लिये उपलब्ध हों।

Q6. जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक अनूठी विशेषता रही है। भारत में जाति जनगणना जातियों के उत्पीड़न और सीमांतीकरण के सदियों पुराने संकट का समाधान कैसे करेगी? व्याख्या कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भारतीय समाज की एक अनूठी विशेषता के रूप में जाति व्यवस्था का एक संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करते हुए शुरुआत कीजिये।
- जाति जनगणना के महत्त्व और चिंताओं पर चर्चा कीजिये।
- वैश्वीकृत समाज में जातिवादी प्रवृत्तियों और संबद्धताओं की विघटित प्रकृति का सारांश देकर निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सदियों से जाति व्यवस्था ने भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं को आकार दिया है, जिससे यह देश की संस्कृति का एक विशिष्ट पहलू बन गया है। हालाँकि भारत ने कानूनी तथा संवैधानिक उपायों के माध्यम से जाति-आधारित भेदभाव व सीमांतीकरण जैसे मुद्दों का निस्तारण करने में उल्लेखनीय प्रगति की है किंतु जाति-आधारित भेदभाव और सीमांतीकरण को बेहतर ढंग से समझने एवं इसका मुकाबला करने के लिये जाति-जनगणना की शुरुआत अत्यावश्यक है। जाति जनगणना का स्वतंत्रता से पहले हुई ऐतिहासिक घटनाओं के साथ-साथ कानूनी और संवैधानिक ढांचे से गहरा संबंध है।

रूपरेखा:

- **जाति जनगणना का महत्त्व:**
  - डेटा संग्रह और जागरूकता: जाति जनगणना भारत में विभिन्न जातियों तथा समुदायों के वितरण एवं संरचना पर अधिक सटीक व अद्यतन डेटा प्रदान करेगी। यह डेटा नीति निर्माताओं को विभिन्न जाति समूहों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और असमानताओं की बेहतर समझ प्राप्त करने में सहायक के रूप में कार्य करेगा।
  - लक्षित कल्याण: सटीक जाति डेटा अधिक लक्षित सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को सक्षम कर सकता है। यह डेटा सुनिश्चित करता है कि लाभ तथा संसाधन तक सबसे अधिक हाशियाई एवं वंचित समुदायों की पहुँच सुगम हो, जिससे सदियों पुराने ऐतिहासिक अन्याय व असमानताओं का समाधान किया जा सके।
  - सकारात्मक कार्रवाई: भारत में शिक्षा, रोज़गार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिये आरक्षण की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। इन नीतियों का उद्देश्य हाशियाई तबकों को अवसर और प्रतिनिधित्व प्रदान करके उनका उत्थान करना है। जाति जनगणना इस प्रक्रिया को सुविधाजनक एवं सुचारू बना सकती है।

- सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व: जाति-आधारित डेटा का उपयोग राजनीति, शिक्षा और रोज़गार सहित विभिन्न क्षेत्रों में वंचित समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये भी किया जा सकता है। इससे हाशियाई तबकों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक प्रभाव तथा प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।
- प्रगति की निगरानी: एक जाति जनगणना समय के साथ जाति-आधारित असमानताओं को कम करने में प्रगति को मापने के लिये आधार रेखा के रूप में कार्य कर सकती है। यह आधार रेखा संवैधानिक प्रावधानों, शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण जैसी कानूनी नीतियों के प्रभाव का आकलन करने एवं आवश्यकतानुसार इसका समायोजन करने में मदद कर सकता है।
- कानूनी ढाँचा और उत्तरदायित्व: सटीक जाति डेटा जाति-आधारित भेदभाव के प्रति कानूनी ढाँचे को और अधिक सशक्त बना सकता है। यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम जैसे कानून की निगरानी और कार्यान्वयन द्वारा जाति-आधारित हिंसा के अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
- अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व: जातिगत असमानताओं पर ठोस डेटा भारत को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने में सहायता कर सकती है, जिसमें संधि निगरानी समितियों और संयुक्त राष्ट्र निकायों को रिपोर्ट करना शामिल है। इससे सरकार पर जातिगत भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये बाहरी दबाव पड़ सकता है।
- अंतर-अनुभागीयता को संबोधित करना: जाति जनगणना भेदभाव की अंतर-अनुभागीयता को उजागर कर सकती है, जहाँ व्यक्तियों को उनकी जाति, लिंग, धर्म अथवा अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। नीति निर्माता इस डेटा का उपयोग सीमांतीकरण के विभिन्न पहलुओं के निस्तारण हेतु पहल विकसित करने के लिये कर सकते हैं।
- हाशियाई तबकों को सशक्त बनाना: सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जाति डेटा हाशियाई तबकों में उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाकर तथा सामाजिक और राजनीतिक पहचान की भावना को बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बना सकता है। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक एकजुटता में वृद्धि तथा भेदभाव के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की भावना प्रेरित हो सकती है।

हालाँकि यह स्वीकार करना आवश्यक है कि जाति जनगणना एकल रूप से जाति सीमांतीकरण के सदियों पुराने संकट का समाधान करने में सक्षम नहीं है, जिसके निम्न कारण हो सकते हैं:

- जाति व्यवस्था की जटिलता: जाति व्यवस्था भारतीय समाज में गहनता से व्याप्त है तथा इसके जटिल सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयाम हैं। केवल जातियों की गणना मात्र से जाति की अंतर्निहित संरचनात्मक मुद्दों और इसकी गहराई में जड़ें जमा चुके उन पूर्वाग्रहों को सुधारा नहीं जा सकता है जो भेदभाव तथा असमानता को कायम रखते हैं।
- पहचान और भेदभाव: जाति की पहचान अमूमन पूर्वाग्रह और भेदभाव से जुड़ी होती है। जाति जनगणना अप्रत्यक्ष रूप से जातियों की पहचान को संरक्षित करने तथा उनके सशक्तीकरण का कार्य करती है किंतु कभी-कभी इससे जातीय मतभेद तथा संघर्ष बढ़ सकते हैं।
- कार्यान्वयन चुनौतियाँ: जातिगत आँकड़ों के आधार पर सकारात्मक कार्रवाई तथा कल्याणकारी नीतियों का कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पात्र लाभार्थियों तक लाभ की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी शासन, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सुव्यवस्थित तंत्र की आवश्यकता है।
- जाति डेटा पर अत्यधिक निर्भरता: जाति आधारित डेटा पर अत्यधिक बल देने से सीमांतीकरण में निर्धनता, लिंग और भौगोलिक स्थिति जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण कारकों को अनदेखा किये जाने का जोखिम है। ऐसे में एक व्यापक व बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।
- सामाजिक परिवर्तन: जाति-आधारित सीमांतीकरण भेदभाव का सही मायने में समाधान करने के लिये, सामाजिक परिवर्तन, जागरूकता और शिक्षा पर ज़ोर देना आवश्यक है। अंतर्निहित दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों को बदलना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जिसे डेटा संग्रह के माध्यम से सुधारा नहीं जा सकता है।
- गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: जाति संबंधी डेटा एकत्र करने से गोपनीयता संबंधी चिंताएँ और दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। उचित बचाव उपाय एवं डेटा सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। यह इस तथ्य के आलोक में भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है कि निजता का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार बन गया है जिसमें लोगों की सहमति और चिंताओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- प्रतिरोध और प्रतिक्रिया: पूर्वाग्रह संबंधी अथवा राजनीतिक निहितार्थों की चिंताओं के भय से कुछ लोग जाति जनगणना का विरोध कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, उच्च जाति के बीच संख्यात्मक रूप से प्रबल जातियों के लिये लक्षित कल्याण के कारण वोट-बैंक की राजनीति बढ़ने की आशंका हो सकती है जो आगे उनके बीच दरार और विभाजन पैदा कर सकती है एवं जाति-आधारित अलगाव व भेदभाव को बढ़ावा दे सकती है।

निष्कर्ष:

भारत में जाति-जनगणना जाति-आधारित भेदभाव और इसके दायरे को उजागर कर सामाजिक न्याय एवं समानता के लिये नीति निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकती है। जाति व्यवस्था के साथ अंतर्निहित समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान करने के लिये इसे समग्र रूप से कानूनी प्रवर्तन, जागरूकता अभियान तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ जोड़ा जाना चाहिये। जाति-जनगणना एक शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य कर सकती है, किंतु दीर्घकालिक परिवर्तन लाने और भारतीय समाज में जाति-आधारित सीमांतीकरण व अत्याचारों को कम करने के लिये निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।

Q7. भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों और संबंधित मुद्दों का परीक्षण कीजिये जिसमें सामाजिक कलंक, भेदभाव और कानूनी मान्यता की अनुपस्थिति की भूमिका पर ज़ोर दिया गया है। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में बताते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली प्राथमिक समस्याओं जैसे सामाजिक कलंक, भेदभाव और कानूनी मान्यता की अनुपस्थिति पर चर्चा कीजिये।
- आगे की राह बताइये।

परिचय:

ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता। इसमें ट्रांस-मेन (परा-पुरुष) और ट्रांस-वूमेन (परा-स्त्री), इंटरसेक्स भिन्नताओं और जेंडर क्वीर (Queer) आते हैं। इसमें सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति, जैसे किन्नर-हिजड़ा भी शामिल हैं। भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक स्वीकृति, कानूनी मान्यता और उनके अधिकारों की सुरक्षा की कमी के कारण कई चुनौतियों और मुद्दों का सामना करना पड़ता है।

मुख्य भाग:

ट्रांसजेंडरों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ समस्याएं:

- **सामाजिक कलंक:**
  - **सामाजिक बहिष्कार:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर अलगाव का सामना करना पड़ता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, मादक द्रव्यों के सेवन में वृद्धि होती है और जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है।
  - **रूढ़िबद्धता और गलत बयानी:** समाज ट्रांसजेंडर लोगों को रूढ़िबद्ध मानता है, जिससे उनके रोज़गार, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के अवसर सीमित हो जाते हैं।
  - **पारिवारिक अस्वीकृति:** कई ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनके परिवारों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे वे पारिवारिक समर्थन और आर्थिक स्थिरता से वंचित हो जाते हैं।
- **भेदभाव:**
  - **हिंसा और घृणित अपराध:** घृणित अपराध, शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार तथा यौन उत्पीड़न ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षा और भलाई के लिये मुख्य खतरे हैं।
  - **शैक्षिक बाधाएँ:** शैक्षिक संस्थानों में भेदभाव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और भविष्य के अवसरों तक पहुँच में बाधा डालता है।
  - **रोज़गार संबंधी भेदभाव:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अक्सर नौकरी में भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिससे बेरोज़गारी या अल्परोज़गार जैसी समस्याएँ होती हैं और उनकी आर्थिक कमजोरी बनी रहती है।
  - **स्वास्थ्य देखभाल असमानताएँ:** स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा भेदभाव अक्सर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लिंग-पुष्टि प्रक्रियाओं सहित आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने से रोकता है।
- **कानूनी मान्यता का अभाव:**
  - **कानूनी अस्पष्टता:** जबकि भारत ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के साथ इस दिशा में काम किया है लेकिन अभी भी कानूनी अस्पष्टताएँ और कमियाँ हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।
  - **व्यापक नीतियों का अभाव:** लिंग पहचान, नॉन-बाइनरी जेंडर और ट्रांसजेंडर अधिकारों के लिये एक स्पष्ट कानूनी ढाँचे पर व्यापक नीतियों का अभाव एक चुनौती बनी हुई है।
  - **कार्यान्वयन में अंतराल:** अधिकारियों की ओर से जागरूकता की कमी, पूर्वाग्रह और अनिच्छा के कारण मौजूदा कानूनों का कार्यान्वयन अक्सर अप्रभावी होता है।

आगे की राह

- अधिनियम को अधिक समावेशी, व्यापक और उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुरूप बनाने के लिये इसमें संशोधन करना।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने वाले मौजूदा कानूनों और नीतियों को लागू करना।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, रोज़गार, आवास और अन्य सेवाओं तक पहुँचने के लिये पर्याप्त संसाधन और सहायता प्रदान करना।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों के बारे में जनता तथा अधिकारियों के बीच संवेदनशीलता और शिक्षा को बढ़ावा देना।

- जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करना।

निष्कर्ष:

भारत में ट्रांसजेंडर संबंधी चुनौतियाँ इसे कलंक के रूप में निरूपित करने, भेदभाव और कानूनी कमियों में निहित हैं। सरकार, नागरिक समाज और समुदायों का एकजुट प्रयास महत्वपूर्ण है। इन बाधाओं को तोड़ने के लिये कानूनी सुधार, जागरूकता अभियान, स्वास्थ्य देखभाल प्रशिक्षण और बेहतर शिक्षा की आवश्यकता है। ट्रांसजेंडर अधिकारों को मान्यता देने से भारत को अपने संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार अधिक समावेशी, न्यायपूर्ण और समान समाज बनने में मदद मिलेगी।

Q8. सामाजिक एकता और देश के समग्र विकास पर सांप्रदायिकता की चुनौतियों और निहितार्थों का विश्लेषण करते हुए सांप्रदायिकता से निपटने में राज्य की नीतियों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- सांप्रदायिकता को परिभाषित कीजिये।
- सांप्रदायिकता की चुनौतियाँ और निहितार्थ लिखिये।
- राज्य की नीतियों की भूमिका का उल्लेख कीजिये।
- संक्षेप में निष्कर्ष लिखिये

परिचय:

यह एक विचारधारा है जो दूसरों की कीमत पर अपने हितों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति वाले अन्य समूहों के संबंध में एक धार्मिक समूह की अलग पहचान पर ज़ोर देती है। इसका उपयोग अक्सर वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देने के लिये एक राजनीतिक प्रचार उपकरण के रूप में किया जाता है।

मुख्य भाग:

सांप्रदायिकता की चुनौतियाँ और निहितार्थ:

- **सामाजिक विभाजन और अलगाव**
  - सांप्रदायिकता विभिन्न धार्मिक या जातीय समूहों के बीच विभाजन को बढ़ावा देती है, जिससे "हम बनाम वे (Us VS Them)" की भावना पैदा होती है। इस विभाजन के परिणामस्वरूप अक्सर समुदायों के बीच अलगाव, अविश्वास पैदा होता है।
- **संघर्ष और हिंसा**
  - सांप्रदायिक तनाव बढ़कर संघर्ष और यहाँ तक कि हिंसा में बदल सकता है, जिससे जान-माल की हानि हो सकती है।
- **आर्थिक विषमताएँ**
  - सांप्रदायिकता आर्थिक असमानताओं को जन्म दे सकती है क्योंकि कुछ समूहों को रोज़गार और व्यापार के अवसरों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इससे देश की आर्थिक प्रगति में बाधा आ सकती है।
- **राजनैतिक अस्थिरता**
  - सांप्रदायिक विभाजनों का राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है, जिससे प्रभावी शासन प्रभावित हो सकता है और अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

सांप्रदायिकता से निपटने में राज्य की नीतियों की भूमिका

- **शैक्षिक सुधार:**
  - धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देना जो विभिन्न समुदायों के बीच सहिष्णुता और समझ को बढ़ावा दे सकती है।
  - शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम शामिल करना जो विविधता को कम कर और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सके।
- **कानूनी ढाँचा**
  - सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने के लिये भेदभाव-विरोधी कानून को लागू करना।
    - सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में त्वरित और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करना।
  - गृह मंत्रालय ने सांप्रदायिक हिंसा को रोकने और उससे निपटने के लिये राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव, न्याय और क्षतिपूर्ति आयोग की स्थापना की है।
- **सामुदायिक पहुँच**
  - अंतर-धार्मिक और अंतर-जातीय संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करना।
  - सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने वाले समुदाय-स्तरीय कार्यक्रमों का समर्थन करना।
  - अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने भारत में अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत एवं संस्कृति को संरक्षित करने के लिये हमारी धरोहर योजना की शुरुआत की है।
- **मीडिया का विनियमन**
  - द्वेषपूर्ण भाषण और गलत सूचना के प्रसार, जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकते हैं, को रोकने के लिये मीडिया को विनियमित करना।
  - एकता और विविधता पर केंद्रित ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग को बढ़ावा देना।
- **आर्थिक समावेशन**
  - हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिये समान आर्थिक अवसर सुनिश्चित करने हेतु सकारात्मक कार्रवाई नीतियाँ लागू करना।

- सांप्रदायिक संघर्ष के इतिहास वाले क्षेत्रों में विकास संबंधी परियोजनाओं में निवेश करना।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिये प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम लागू किया गया है।

- **राजनीतिक सुधार**
  - राजनीतिक दलों को चुनावी लाभ के लिये सांप्रदायिक विभाजन का फायदा न उठाने के लिये प्रोत्साहित करना।
  - समावेशी और प्रतिनिधिक शासन संरचनाओं को बढ़ावा देना।
  - भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने चुनावी लाभ के लिये धर्म और जाति के दुरुपयोग को रोकने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

निष्कर्ष

सांप्रदायिकता सामाजिक एकता और देश के समग्र विकास के लिये चुनौतियाँ पैदा करती है। सांप्रदायिकता के मूल कारणों को संबोधित कर और एकता को बढ़ावा देकर सरकारें सभी नागरिकों के लिये सतत् विकास एवं प्रगति के लिये अनुकूल वातावरण बना सकती हैं। यह ज़रूरी है कि राष्ट्र एक उज्जवल और एकजुट भविष्य सुनिश्चित करने हेतु इन नीतियों को प्राथमिकता दें।

Q9. क्या भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण और/या हाशिये पर ले जाता है? (250 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- शहरीकरण की अवधारणा का संक्षिप्त विवरण देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- चर्चा कीजिये कि किस प्रकार शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण और/या हाशिये पर ले जाता है।
- इस दृष्टिकोण पर बल देते हुए निष्कर्ष लिखिये कि शहरीकरण से जुड़ी जटिलताओं को दूर करने के लिये एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

परिचय:

भारत में शहरीकरण एक अपरिहार्य समस्या बन गई है। एक विकसित शहर के निर्माण में अनियोजित विकास शामिल है, जो केवल अमीर तथा गरीब के बीच शहरों में प्रचलित द्वंद्व को बढ़ावा देता है। हालाँकि पृथक्करण तथा हाशियाकरण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है।

मुख्य भाग:

शहरीकरण से गरीबों का पृथक्करण:

- **आय असमानताएँ:** शहरीकरण के परिणामस्वरूप प्राय: आय असमानता की स्थिति उत्पन्न होती है, गरीबों के लिये वहनीय आवास विकल्प सीमित होते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर इनके पृथक्करण को बढ़ावा मिलता है।
- **अपर्याप्त आवास नीतियाँ:** अनियोजित शहरीकरण तथा अपर्याप्त आवास नीतियाँ, मलिन बस्तियों की सघनता का कारण हो सकती हैं।
- **रोज़गार के अवसर:** विशिष्ट शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों का संकेंद्रण गरीबों को नौकरी की निकटता के कारण निम्न समुदायों में स्थानांतरित होने के लिये मजबूर कर सकता है।
- **रोज़गार के अवसर:** शहर के विशिष्ट क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों का संकेंद्रण होने से गरीब समुदाय नौकरी की तलाश में कम सुविधा वाले नज़दीकी क्षेत्रों में बसने के लिये मजबूर हो सकते हैं।
- **सामाजिक पूर्वाग्रह:** इसके कारण गरीब लोग अक्सर शहरी केंद्रों के परिधीय क्षेत्रों में विस्थापित हो सकते हैं।

शहरीकरण के कारण पृथक्करण/हाशियाकरण को बढ़ावा मिलना:

- **सामाजिक सेवाओं का अभाव:** शहरी मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा एवं स्वच्छता जैसी आवश्यक सेवाओं का अपर्याप्त प्रावधान गरीबों को हाशिये पर धकेल देता है।
- **भूमि विस्थापन:** शहरी विकास परियोजनाएँ प्राय: शहरी गरीब समुदायों को उचित मुआवज़े या वैकल्पिक आवास विकल्पों के बिना विस्थापित कर देती हैं।
- **स्वास्थ्य संबंधी असमानताएँ:** मलिन बस्तियों में भीड़भाड़ और अस्वच्छता स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुँच समस्या को बढ़ाती है।
- **सामाजिक भेदभाव:** शहरी गरीबों को उनकी आर्थिक स्थिति एवं पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव तथा सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है।

गरीबों के पृथक्करण/हाशियाकरण के समाधान हेतु सरकारी पहलें:

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन
- दीनदयाल अंत्योदय योजना

निष्कर्ष:

हालाँकि विभिन्न स्तरों पर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इनकी सफलता बेहतर नीति कार्यान्वयन, सामुदायिक भागीदारी और शहरी गरीबों के अधिकारों के लिये निरंतर समर्थन पर निर्भर करेगी।

Q10. संजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उत्तर-उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिये। (250 शब्द, UPSC मुख्य परीक्षा 2023)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- उत्तर-उदारवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- उल्लेख कीजिये कि उत्तर-उदारवादी अर्थव्यवस्था ने जातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता को किस प्रकार प्रभावित किया।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

भारत में उत्तर-उदारवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा, 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुए आर्थिक सुधारों और उदारीकरण की विशेषता ने वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि में, विशेष रूप से जातीय पहचान तथा सांप्रदायिकता पर इसके प्रभाव के संबंध में एक जटिल एवं बहुआयामी घटना को जन्म दिया है।

जातीय पहचान पर प्रभाव:

सकारात्मक:
- **आर्थिक सशक्तीकरण:** आर्थिक अवसरों तक पहुँच में वृद्धि ने विभिन्न जातीय पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने की अनुमति दी है।
- **सांस्कृतिक विनियमन:** उदारवाद के बाद की अर्थव्यवस्था ने व्यापार, पर्यटन और कनेक्टिविटी में वृद्धि के कारण अधिक सांस्कृतिक विनियमन की सुविधा प्रदान की है, जिससे अंतर-सांस्कृतिक समझ बढ़ी है।
- **उद्यमिता और क्षेत्रीय पहचान:** आर्थिक उदारीकरण ने उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है, जिससे विशिष्ट जातीय पहचान वाले क्षेत्रों को अपने अद्वितीय उत्पादों एवं परंपराओं को बढ़ावा देने की अनुमति मिली है।

नकारात्मक:
- **आर्थिक असमानताएँ:** जातीय समूहों में आर्थिक विकास एक समान नहीं रहा है, जिससे आय में असमानता की स्थिति पैदा हुई है और कुछ समुदायों को हाशिये पर धकेल दिया गया है।
- **सांस्कृतिक समरूपीकरण:** उदारीकरण के माध्यम से वैश्विक उपभोक्ता संस्कृति का प्रसार पारंपरिक जातीय रीति-रिवाज़ों और पहचान को नष्ट कर सकता है।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** आर्थिक उदारीकरण कुछ क्षेत्रों में धन और विकास को केंद्रित कर सकता है, जिससे अन्य लोग आर्थिक रूप से वंचित रह जाएंगे।

सांप्रदायिकता पर प्रभाव:

सकारात्मक:
- **शहरीकरण और प्रवासन:** सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देना और सांप्रदायिकता के प्रभाव को कम करना।
- **शिक्षा और जागरूकता:** बेहतर शिक्षा एवं सूचना तक पहुँच एक अधिक सूचित तथा सहिष्णु समाज को बढ़ावा दे सकती है, जिससे सांप्रदायिक तनाव कम हो सकता है।

नकारात्मक:
- **मीडिया और प्रौद्योगिकी:** इसे विभाजनकारी विचारधाराओं का प्रचार करने तथा सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** आर्थिक उदारीकरण से ग्रामीण-शहरी विभाजन हो सकता है, इससे ग्रामीण इलाकों के लोग पीछे छूट जाने की स्थिति महसूस कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से सांप्रदायिक भावनाएँ भड़क सकती हैं।
- **उपभोक्तावाद:** उपभोक्तावाद से जुड़े भौतिकवादी मूल्य सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों पर हावी हो सकते हैं, जो सामुदायिक एकजुटता में रुकावट का कारण बन सकता है।

इसलिये जहाँ एक ओर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था ने देश को विकास और समृद्धि के युग में प्रवेश कराया है, वहीं दूसरी ओर जातीय पहचान तथा सांप्रदायिकता पर इसके प्रभाव ने नई खामियाँ पैदा कर दी हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित भाईचारे के मूल्य का पालन करते हुए इससे निपटने की आवश्यकता है।

Q11. सामाजिक सशक्तीकरण की अवधारणा का आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए इसके विविध आयामों एवं भारत में समावेशी विकास प्राप्त करने में इसके महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (150 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- सामाजिक सशक्तीकरण का संक्षिप्त परिचय लिखिये।
- समावेशी विकास प्राप्त करने के लिये सामाजिक सशक्तीकरण के विभिन्न आयामों का उल्लेख कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

सामाजिक सशक्तीकरण समाज के हाशिये पर रहने वाले और वंचित वर्गों को जीवन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भाग लेने में सक्षम बनाने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य उनकी आत्मनिर्भरता, गरिमा और कल्याण को बढ़ाना तथा उनके सामने आने वाली असमानताओं एवं भेदभाव को कम करना है।

मुख्य भाग:
- **भारत में सामाजिक सशक्तीकरण के कुछ आयाम:**
  - **महिला सशक्तीकरण:** महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, निर्णय लेने और कानूनी सुरक्षा जैसे विभिन्न

क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति एवं अधिकारों को बढ़ाना है। महिला सशक्तीकरण के लिये सरकार की पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, उज्ज्वला योजना, महिला शक्ति केंद्र आदि हैं।

- **अनुसूचित जाति (SC) सशक्तीकरण:** जाति-आधारित भेदभाव, हिंसा और अत्याचार को खत्म करने एवं शिक्षा, रोज़गार, भूमि तथा न्याय तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिये SC का सशक्तीकरण आवश्यक है। अनुसूचित जाति के सशक्तीकरण के लिये सरकारी योजनाएँ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, डॉ. अंबेडकर पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति के लिये वेंचर कैपिटल फंड आदि हैं।
- **अनुसूचित जनजाति (ST) सशक्तीकरण:** अनुसूचित जनजाति सशक्तीकरण, उनकी सांस्कृतिक पहचान, प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करने तथा उनकी आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शासन को बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण है। अनुसूचित जनजाति सशक्तीकरण के लिये सरकारी कार्यक्रम वनबंधु कल्याण योजना, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ आदि हैं।
- **विकलांग व्यक्तियों (PwD) का सशक्तीकरण:** विकलांग व्यक्तियों का सशक्तीकरण, उनके सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने और उन्हें शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच प्रदान करने के लिये महत्त्वपूर्ण है। PwD सशक्तीकरण के लिये सरकारी पहल विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय ट्रस्ट, दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना आदि हैं।

- **सामाजिक सशक्तीकरण कई कमियों के साथ आता है, जिसमें शामिल हैं:**
  - **प्रमुख समूहों का विरोध:** सामाजिक सशक्तीकरण प्राय: मौजूदा संरचनाओं और मानदंडों को चुनौती देता है जो समाज में प्रमुख समूहों, जैसे- उच्च जाति, पुरुष, बहुसंख्यक धर्म, आदि का पक्ष लेते हैं।
  - **संसाधनों और अवसरों की कमी:** सामाजिक सशक्तीकरण के लिये वंचित वर्गों तक पहुँच और उपयोग के लिये पर्याप्त संसाधनों एवं अवसरों की आवश्यकता होती है। हालाँकि भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, भूमि आदि जैसे संसाधनों तथा अवसरों की कमी है।
  - **विविधता और विषमता:** भारत एक विविधता और विषमता वाला देश है, जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों की अलग-अलग पहचान, संस्कृतियाँ, भाषाएँ, धर्म आदि हैं। यह सामाजिक सशक्तीकरण के लिये एक चुनौती उत्पन्न कर सकता है क्योंकि विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को संबोधित करना मुश्किल हो सकता है। प्रत्येक समूह और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनका प्रतिनिधित्व तथा भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है।
  - **कार्यान्वयन में कमियाँ और भ्रष्टाचार:** सार्वजनिक सेवाओं एवं लाभों के वितरण में प्राय: कार्यान्वयन में कमियाँ और भ्रष्टाचार होते हैं, जो सशक्तीकरण कार्यक्रमों की पहुँच तथा गुणवत्ता को कम कर सकते हैं।
    - उदाहरण के लिये इच्छित लाभार्थियों को छात्रवृत्ति, पेंशन, सब्सिडी आदि के वितरण में देरी या अनियमितताएँ हो सकती हैं।

निष्कर्ष:

भारत में सामाजिक सशक्तीकरण के लिये शिक्षा, आर्थिक संभावनाओं, राजनीतिक भागीदारी, लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशन, स्वास्थ्य देखभाल, तकनीकी पहुँच और पर्यावरणीय स्थिरता को कवर करने वाली एक समग्र रणनीति की आवश्यकता है। समावेशी विकास विविध आवश्यकताओं को स्वीकार करने और उन्हें पूरा करने वाली नीतियों पर निर्भर करता है, जिसमें कोई भी समूह पीछे न रहे। सामाजिक सशक्तीकरण सिर्फ एक विकासात्मक उपकरण नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य एक निष्पक्ष एवं न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देना है।

Q12. पद्म पुरस्कार और भारत रत्न जैसे पुरस्कारों के प्रभाव, प्राप्तकर्त्ताओं की व्यक्तिगत पहचान से परे भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं पर किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसे पुरस्कारों के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- उल्लेख कीजिये कि कैसे ये पुरस्कार व्यक्तिगत पहचान के साथ-साथ समाज पर भी प्रभाव डालते हैं।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

- भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हैं, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किये जाते हैं। ये पुरस्कार मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम स्तर के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिये दिये जाते हैं। इन पुरस्कारों के प्राप्तकर्ताओं को न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिये बल्कि भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं पर उनके प्रभाव के लिये

भी सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार राष्ट्र के मूल्यों, आकांक्षाओं एवं विविधता के साथ-साथ उत्कृष्टता तथा सार्वजनिक सेवा हेतु सराहना को दर्शाते हैं।

मुख्य भाग:

- इस प्रकार भारत रत्न और पद्म पुरस्कार न केवल व्यक्तिगत मान्यता के प्रतीक हैं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव एवं कृतज्ञता की अभिव्यक्ति भी हैं। वे उन नागरिकों की उपलब्धियों का परिचायक हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा, दूरदर्शिता तथा समर्पण से देश एवं विश्व को लाभ पहुँचाया है।

भारत रत्न और पद्म पुरस्कार व्यक्तिगत पहचान के साथ-साथ समाज पर भी प्रभाव डालते हैं:

- **उत्कृष्टता और नवीनता को मान्यता देना:** ये पुरस्कार विज्ञान, साहित्य, कला, खेल आदि क्षेत्रों में प्राप्तकर्ताओं की उत्कृष्ट उपलब्धियों एवं योगदान को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिये, सी. वी. रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिये वर्ष 1954 में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। सत्यजीत रे को उनकी सिनेमाई प्रतिभा के साथ भारत एवं विश्व सिनेमा पर प्रभाव के लिये वर्ष 1992 में भारत रत्न मिला। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में उनके अद्वितीय रिकॉर्ड एवं प्रभाव के लिये वर्ष 2014 में भारत रत्न मिला, एम. एस. सुब्बुलक्ष्मी को कर्नाटक संगीत में महारत एवं नवीनता के लिये वर्ष 1975 में पद्म विभूषण मिला।
- **सामाजिक न्याय और कल्याण को बढ़ावा देना:** ये पुरस्कार देश में सामाजिक न्याय, समानता और कल्याण की दिशा में प्राप्तकर्ताओं के प्रयासों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिये, बी. आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने तथा उत्पीड़ित वर्गों के अधिकारों की वकालत करने में उनकी भूमिका के लिये वर्ष 1990 में भारत रत्न मिला। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने और महिलाओं तथा बच्चों के उत्थान में उनके कार्य के लिये वर्ष 1992 में पद्म विभूषण मिला।
- **प्रेरक देशभक्ति और नेतृत्व:** ये पुरस्कार देश की नियति को आकार देने तथा नागरिकों के बीच देशभक्ति को प्रेरित करने में प्राप्तकर्ताओं के नेतृत्व और दूरदृष्टि को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिये, अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके नेतृत्व एवं विदेश नीति तथा आर्थिक सुधारों में उनकी पहल के लिये वर्ष 2015 में भारत रत्न मिला। लाल बहादुर शास्त्री को वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व एवं "जय जवान जय किसान" के नारे के लिये वर्ष 1966 में भारत रत्न मिला।

निष्कर्ष:

भारत रत्न और पद्म पुरस्कार व्यक्तिगत पहचान से कहीं आगे तक विस्तारित हैं। वे प्रेरणा, सामाजिक परिवर्तन, राष्ट्रीय एकता एवं वैश्विक मंच पर भारत की शक्ति को बढ़ावा देने के क्रम में शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। इनके द्वारा व्यक्तिगत उत्कृष्टता को पहचान प्रदान करने के साथ भारतीय समाज की प्रगति एवं भलाई में लोगों के महत्त्वपूर्ण योगदान को दर्शाया जाता है।

Q13. मासिक धर्म के सवैतनिक अवकाश संबंधी नीतियों को लागू करने से लैंगिक समानता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परीक्षण कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत परिचय के साथ कीजिये, जो प्रश्न के लिये एक संदर्भ निर्धारित करता है।
- मासिक धर्म के सवैतनिक अवकाश के समर्थन में तर्कों को बताइये।
- लैंगिक समानता पर मासिक धर्म के सवैतनिक अवकाश के नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

- मासिक धर्म की सवैतनिक अवकाश संबंधी नीतियों का उद्देश्य मासिक धर्म स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करना और कार्यबल में महिलाओं का समर्थन करना है। हालाँकि ऐसी आशंका है कि भारत में ऐसी नीतियों के कार्यान्वयन से लैंगिक समानता के मुद्दे सुधरने के बजाय और बिगड़ सकते हैं।

मुख्य भाग:

मासिक धर्म के सवैतनिक अवकाश का समर्थन करने वाले तर्क:

- **किफायती स्वच्छता उत्पादों तक पहुँच का अभाव:** भारत में किफायती और स्वच्छ मासिक धर्म उत्पादों तक पहुँच एक बड़ी चुनौती है। कई महिलाएँ, विशेष रूप से न्यूनतम आय वाली पृष्ठभूमि से, सैनिटरी पैड खरीदने के लिये संघर्ष करती हैं।
  - हालिया राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) -5 रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 15 से 24 वर्ष की आयु के बीच की लगभग 50% महिलाएँ मासिक धर्म की सुरक्षा के लिये कपड़े का उपयोग करती हैं।
- **जागरुकता की कमी:** मासिक धर्म स्वच्छता और संबंधित मुद्दों के बारे में जागरुकता की कमी भारत में एक महत्त्वपूर्ण बाधा है। कई लड़कियों और महिलाओं को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में सीमित ज्ञान है, जिसमें उचित स्वच्छता प्रथाएँ, स्वच्छता उत्पादों का उपयोग एवं मासिक धर्म संबंधी असुविधा का प्रबंधन शामिल है।

- **कलंक और शर्म:** भारत के कई हिस्सों में मासिक धर्म अभी भी सामाजिक कलंक और सांस्कृतिक वर्जनाओं से घिरा हुआ है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को प्राय: भेदभाव, प्रतिबंध एवं अलगाव का सामना करना पड़ता है, जिससे शर्मिंदगी की भावना उत्पन्न होती है।
  - CRY रिपोर्ट में पाया गया कि 61.4% लड़कियों ने स्वीकार किया है कि मासिक धर्म को लेकर समाज में शर्मिंदगी की भावना मौजूद है।
- **अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ:** अनौपचारिक कार्य (जैसे- निर्माण कार्य, घरेलू कार्य, आदि) में महिलाओं को प्राय: शौचालय, स्नान के लिये स्वच्छ जल, लागत प्रभावी स्वच्छता उत्पादों और उनके सुरक्षित निपटान तक पहुँच नहीं होती है। उनके पास अपने मासिक धर्म उत्पादों को बदलने के लिये गोपनीयता की भी कमी होती है।
- **नीतिगत उपाय:** वर्ष 2022 'महिलाओं को मासिक धर्म के अवकाश का अधिकार और मासिक धर्म स्वास्थ्य उत्पादों तक मुफ्त पहुँच विधेयक' में महिलाओं एवं ट्रांसवुमेन को उनके मासिक धर्म के दौरान तीन दिनों का सवैतनिक अवकाश तथा छात्रों के लिये अतिरिक्त लाभ निर्दिष्ट किया गया है, जो अभी तक एक अधिनियम नहीं बन पाया है।
  - वर्तमान में केवल दो राज्यों, केरल और बिहार में महिलाओं के लिये मासिक धर्म अवकाश की नीतियाँ कार्यान्वयन में हैं।

लैंगिक समानता पर मासिक धर्म के सवैतनिक अवकाश का नकारात्मक प्रभाव:

- **कंपनियों को महिलाओं को काम पर रखने से हतोत्साहित करना:** श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में काफी कम है और यहाँ तक कि न्यूनतम महिलाएँ ही नेतृत्व की स्थिति रखती हैं।
  - यदि इसमें मासिक धर्म के लिये अनिवार्य सवैतनिक अवकाश जोड़ दिया जाता है, तो यह कंपनियों को महिलाओं को काम पर रखने से हतोत्साहित कर देगा।
- **मासिक धर्म सामाजिक कलंक को मान्य करता है:** यदि सरकार मासिक धर्म वाली महिलाओं के लिये 'विशेष स्थिति' की पुष्टि करती है, तो यह मासिक धर्म के सामाजिक कलंक को मान्य कर सकती है। यह उस देश में पीरियड शेमिंग को बढ़ा देगा जहाँ बड़ी संख्या में लोग (पुरुष और महिलाएँ दोनों) मासिक धर्म को 'अशुद्ध' मानते हैं।
- **लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले जापान का मामला:** जापान जैसे देश हैं, जो दर्दनाक माहवारी के लिये अवकाश प्रदान करते हैं - लेकिन यह ज़्यादातर अवैतनिक और अप्रयुक्त है।
  - महिलाओं का दावा है, कि वे यौन उत्पीड़न के भय से इस अवकाश का लाभ उठाने और 'प्रसारित' करने में अनिच्छुक हैं कि वे अपने मासिक धर्म पर हैं।
- **इसके कार्यान्वयन से संबंधित चिंताएँ:** यदि मासिक धर्म के लिये सवैतनिक अवकाश की शुरुआत की जानी थी, तो चुनौती इसके कार्यान्वयन में है। ऐसे अवकाश का वैध उपयोग निर्धारित करना और संभावित दुरुपयोग को रोकना जटिल होगा।

प्रभावी मासिक धर्म अवकाश संबंधी नीतियों को अपनाने के लिये सुझाव:

- **मासिक धर्म की स्वास्थ्य साक्षरता को बढ़ावा देना:** कार्यस्थल में मासिक धर्म स्वास्थ्य में सुधार का मुख्य हिस्सा यह सुनिश्चित करना होगा कि नियोक्ता, कर्मचारी (और उनके डॉक्टर) सभी को मासिक धर्म स्वास्थ्य के बारे में उच्च गुणवत्ता वाली जानकारी तक पहुँच हो।
- **पर्याप्त विश्राम को शामिल करना:** जिन श्रमिकों को मासिक धर्म होता है, उनके लिये ब्रेक लेने और शौचालय एवं स्वच्छ जल तक पहुँचने में सक्षम होना विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, लेकिन सभी श्रमिकों को बेहतर कामकाजी परिस्थितियों से लाभ होगा।
- **लैंगिक-विशिष्ट नीतियों को न अपनाना:** विगत कई दशकों से रोज़गार नीतियों के वैश्विक मूल्यांकन ने निरंतर यह प्रदर्शित किया है कि लैंगिक या लैंगिक-विशिष्ट नीतियाँ (चाहे उनका आशय कितना भी 'अच्छा' क्यों न हो) उन्हीं लोगों को नुकसान पहुँचाती है, जिनकी वे मदद करना चाहती हैं।
  - यह क्रिया उन 'महिलाओं' (और आदर्श रूप से अन्य हाशिये पर रहने वाले समूहों) की आवश्यक्ताओं की पहचान करने एवं सभी कर्मचारियों के लिये नीतियाँ तैयार करती हैं, जो उन्हें उचित ध्यान में रखती हैं।
- **समान वेतन और नौकरी के अवसर सुनिश्चित करना:** समान वेतन और नौकरी के अवसर सुनिश्चित करना काम पर लैंगिक समानता में सुधार के लिये मासिक धर्म के अवकाश से कहीं आगे होगा।

निष्कर्ष:

मासिक धर्म के सवैतनिक अवकाश संबंधी नीतियों को बनाते समय, इसे केवल जैविक क्षति के रूप में लेबल करने के बजाय, मासिक धर्म के विभिन्न अनुभवों को स्वीकार करना और तद्नुसार सहायता प्रदान करना आवश्यक है। इन नीतियों के कार्यान्वयन में दुरुपयोग के जोखिम पर विचार किया जाना चाहिये और व्यक्तिगत गोपनीयता तथा गरिमा के सम्मान को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

Q14. भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिये। देश में बच्चों का समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने हेतु आप कौन से सुधार सुझाएँगे? (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- उत्तर की शुरुआत परिचय के साथ कीजिये, जो प्रश्न के लिये एक संदर्भ निर्धारित करता है।
- भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) की वर्तमान स्थिति पर चर्चा कीजिये।
- देश में बच्चों के लिये समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिये सुधारों को सुझाइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ECCE) में दशकों से न्यूनतम निवेश एवं न्यूनतम अन्वेषण दोनों ही रहा है, बावजूद इसके कि यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भारत के बच्चे आर्थिक निवेश के लायक हैं जबकि देश का ध्यान जनसांख्यिकीय लाभांश, शिक्षा एवं नौकरियों पर है।

मुख्य भाग:

ECCE की वर्तमान स्थिति:
- **निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा:** संविधान राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) के अनुच्छेद 45 के तहत निम्नलिखित प्रावधान करता है कि, "राज्य संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिये चौदह वर्ष की उम्र पूरी होने तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।"
- **सकल नामांकन अनुपात (GER) में सुधार:** भारतीय विकासशील राज्य ने शिक्षा के लिये माता-पिता की आकांक्षाओं को बढ़ावा दिया है और उन्हें पूर्ण किया है, प्राथमिक स्तर पर 100% GER को पार करते हुए, पहली पहुँच को लक्षित किया है।
- **सीखने के परिणामों में दुविधाएँ:** राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) (75वें दौर) के डेटा और NCERT (राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, 2023) के सीखने के परिणामों के अध्ययन से पता चलता है कि भारत के बच्चे प्राथमिक स्तर पर नहीं सीख रहे हैं तथा जैसे-जैसे वे आगे बढ़ते हैं उच्च स्तर पर, वे पाठ्यक्रम से निपटने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।
- **छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये बढ़ाया गया फोकस:** सरकार ने जीवन चक्र में पहले से भी ध्यान केंद्रित करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, यानी छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये, 'संख्यात्मक ज्ञान के साथ, पठन में निपुणता के लिये राष्ट्रीय पहल' (NIPUN) मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के लिये भारत मिशन एवं कार्यक्रम-पोषण भी पढ़ाई भी आँगनवाड़ी प्रणाली के माध्यम से ECCE गुणवत्ता में सुधार के लिये है।

भारत में ECCE के समक्ष विभिन्न चुनौतियाँ:
- **किफायती:** हालिया शोध के अनुसार, भारत में 3 से 17 वर्ष की आयु के एक बच्चे को निजी स्कूल में शिक्षित करने की कुल लागत 30 लाख रुपये है। इन खर्चों का वित्तीय बोझ ECCE में निवेश में बाधा डालता है।
  - NSSO की 75वें दौर की रिपोर्ट से पता चलता है कि लगभग 37 मिलियन बच्चों को सार्वजनिक या निजी विकल्पों की परवाह किये बिना किसी भी प्रकार की प्रारंभिक शिक्षा सेवा तक पहुँच नहीं है।
- **अभिगम्यता:**
  - भौगोलिक स्थिति या पारंपरिक बाल्यावस्था प्रथाओं जैसे कारकों के कारण प्री-स्कूल और डेकेयर जैसे पारंपरिक प्रारंभिक शिक्षा प्रारूप सदैव सभी परिवारों के लिये सुलभ नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत को अधिक कुशल प्रारंभिक शिक्षा, शिक्षकों और आवश्यक बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता है।
- **उपलब्धता:**
  - भारत में ECCE में सरकारी निवेश में वृद्धि हुई है, जिसमें डिजिटल लैब और बुनियादी ढाँचे की स्थापना भी शामिल है, लेकिन चुनौतियाँ बरकरार हैं। देश में ECCE नियामक अंतराल, विखंडन और लक्षित पहल की आवश्यकता से चिह्नित है, जो वृद्धि के अवसरों को रेखांकित करता है।
- **माता-पिता की कम व्यस्तता:**
  - माता-पिता बच्चे के पहले शिक्षक होते हैं, वे अपने बच्चे को कई तरीकों से सीखने में मदद कर सकते हैं, जिसमें उनका पढ़ना, लिखना और गिनना सिखाना आदि शामिल है। वे घर पर या बाहर समुदाय में एक साथ समय बिताकर सामाजिक कौशल विकसित करने में भी मदद कर सकते हैं।
  - उन्हें प्राय: अपने बच्चों की शिक्षा में शामिल होने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि कार्यात्मक शेड्यूल जो काम से ज़्यादा समय तक दूर रहने की अनुमति नहीं देता है; परिवहन की कमी; न्यूनतम साक्षरता कौशल; यह जानकारी में नहीं है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रमों के बारे में जानकारी कहाँ या कैसे प्राप्त करेंगे।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, (RTE) 2009 में खामियाँ:**
  - वर्ष 2002 में पारित 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 21A के तहत प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को

मौलिक अधिकार बना दिया। इस संशोधन का उद्देश्य छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना था।

- इस अधिनियम में 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिये मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा के लिये पर्याप्त प्रावधान शामिल नहीं थे।

- **न्यूनतम सार्वजनिक व्यय:**
  - इंचियोन घोषणा, जिस पर भारत एक हस्ताक्षरकर्त्ता है, से यह उम्मीद है कि सदस्य देश इस घोषणा के SDG-4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) को प्राप्त करने के लिये अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4-6% शिक्षा पर व्यय करेंगे।
  - केंद्रीय बजट, 2024 का बजट शिक्षा के लिये सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.9% आवंटित करता है, जो वैश्विक औसत 4.7% से काफी कम है।

ECCE में सुधार के लिये कुछ सुझाव:

- **NEP, 2020 के अधिदेश को प्रभावी ढंग से लागू करना:** NEP, 2020 के अनुसार, बच्चे के मस्तिष्क का 85% से अधिक संचयी विकास पहले छह वर्षों में होता है, जो बच्चे के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिये शुरुआती वर्षों में मस्तिष्क को सही देखभाल और उत्तेजना प्रदान करने की आवश्यकता पर ज़ोर देता है।
  - अद्यतन नीति में कहा गया है कि सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित घरों के बच्चों पर विशेष ध्यान देने के साथ, सभी छोटे बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाले ECCE तक राष्ट्रव्यापी पहुँच प्रदान करना तत्काल आवश्यक है।
    - **मूलभूत शिक्षण पाठ्यक्रम:** पाठ्यक्रम को 3 से 8 वर्ष की उम्र के लिये दो खंडों में विभाजित किया गया है: जिसमें 3-6 वर्ष की उम्र के ECCE छात्रों के लिये बुनियादी शिक्षण पाठ्यक्रम और 6 से 8 वर्ष की उम्र के प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिये कक्षा I तथा II शामिल है।
    - **सार्वभौमिक पहुँच:** 3 से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्री-स्कूलों, आँगनबाड़ियों और बालवाटिका में मुफ्त, सुरक्षित एवं उच्च गुणवत्ता वाली ECCE तक पहुँच प्राप्त है।
    - **प्रारंभिक कक्षा:** प्रत्येक बच्चे को पाँच वर्ष की आयु से पहले "प्रारंभिक कक्षा" या "बालवाटिका" (कक्षा 1 से पहले) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जहाँ ECCE-योग्य शिक्षक खेल-आधारित शिक्षा प्रदान करेंगे।
    - **बहुआयामी शिक्षण:** मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN) के निर्माण के लिये खेल, गतिविधि और पूछताछ-आधारित शिक्षा पर भारी ज़ोर देने वाली एक लचीली शिक्षण पद्धति का निर्माण करना।
- **आँगनवाड़ी केंद्रों में निवेश:** हालिया शोध केंद्र और राज्यों द्वारा आवंटन एवं व्यय को बढ़ाने का तथा कारण प्रदान करते हैं।
  - अंतरिम बजट, 2024 में सक्षम आँगनवाड़ियों के उन्नयन में तेज़ी लाने और आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा) एवं सहायकों के लिये आयुष्मान भारत सेवाएँ प्रदान करने का वादा उत्साहजनक है।
- **डिजिटल पेनीट्रेशन का उपयोग:**
  - **आकर्षक और उम्र के अनुरूप सामग्री प्रदान करता है:** स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षार्थियों के लिये गतिशील उपकरण के रूप में उभर रहे हैं।
    - ये एप्स आकर्षक और आयु-उपयुक्त सामग्री प्रदान करते हैं, जो युवा मस्तिष्कों के लिये एक समृद्ध शैक्षिक अनुभव सुनिश्चित करते हैं।
  - **समावेशिता और पहुँच को बढ़ावा देता है:** क्रियात्मक गतिविधियों, जीवंत दृश्यों और अनुरूप पाठ्यक्रम के माध्यम से, ये मंच आकार प्रदान करते हैं कि बच्चे अपनी सीखने की यात्रा कैसे शुरू करते हैं।
    - डिजिटलीकरण के माध्यम से पेश किये गए शिक्षण मॉड्यूल लागत-प्रभावशीलता एवं लगभग कहीं से भी सुविधाजनक पहुँच प्रदान करते हैं, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बच्चों और योग्य शिक्षकों तक पहुँचते हैं।
- **बुनियादी ढाँचे की कमियों को भरना:** इसके लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचे में निवेश के साथ-साथ स्थापित संस्थानों के माध्यम से व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम और कॅरियर प्रगति रणनीतियाँ प्रारंभ करने की आवश्यकता है।
  - इसके अतिरिक्त, ECCE को शुरुआती शिक्षार्थियों के लिये विशेष प्रयोगशालाएँ, आधुनिक शिक्षण केंद्र, खेल क्षेत्र, डिजिटल संसाधन और नवीन शिक्षण सामग्री बनाने से काफी लाभ होगा।
- **दृष्टिकोण में विविधता को पहचानना:** प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा बहुमुखी है, विभिन्न पारिवारिक परिस्थितियों और प्राथमिकताओं को समायोजित करती है। इसमें संभावनाओं की एक संपूर्ण शृंखला शामिल है, जिसमें घर पर देखभाल और शिक्षा प्रदान करने वाले माता-पिता से लेकर अनौपचारिक या औपचारिक खेल शिक्षण विधियों का लाभ उठाना शामिल है।

- बड़े प्री-स्कूल सेटअप भी संरचित शिक्षण अनुभव प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दृष्टिकोणों में इस विविधता को पहचानना बच्चों की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा के लिये एक व्यापक एवं समावेशी ढाँचा बनाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

ECCE में निवेश भारत के भविष्य के लिये महत्त्वपूर्ण है, फिर भी इसे वर्षों से नज़रअंदाज़ किया गया है। ECCE के लिये हालिया बजटीय आवंटन एक सकारात्मक प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है, लेकिन बेहतर संज्ञानात्मक कौशल तथा शैक्षिक उपलब्धि जैसे लाभों को देखते हुए और भी अधिक की आवश्यकता है।

Q15. भारत में प्रस्तावित महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम को लागू करने के महत्त्व एवं संभावित चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। देश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण हेतु रणनीतियाँ बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भारत में प्रस्तावित महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम का संक्षिप्त परिचय दीजिये।
- भारत में प्रस्तावित महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम को लागू करने के महत्त्व एवं संभावित चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये।
- पूरे देश में महिलाओं के लिये पर्याप्त आर्थिक सशक्तीकरण को साकार करने के लिये प्रमुख रणनीतियों की सिफारिश कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA) एक प्रस्तावित विधान है जिसका उद्देश्य शहरी बेरोज़गारी को, विशेष रूप से महिलाओं के लिये, संबोधित करना है। WUEGA महिलाओं को प्रतिवर्ष न्यूनतम कार्यदिवस (उदाहरण के लिये, 150 दिन) की गारंटी देने का प्रस्ताव करता है।

मुख्य भाग:

महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA) की आवश्यकता :

- **शहरी रोज़गार में लैंगिक असमानताएँ:** शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों में प्राय: लिंग-आधारित असमानताएँ देखी जाती हैं।
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार, वर्ष 2023 की अंतिम तिमाही में केवल 22.9% शहरी महिलाएँ ही कार्यरत थीं।
- आर्थिक सशक्तीकरण और सतत् विकास लक्ष्य: WUEGA शहरी महिलाओं को गारंटीकृत रोज़गार के अवसर प्रदान कर सशक्त बनाएगा। न्यूनतम कार्यदिवस सुनिश्चित करने से यह महिलाओं को अपने घरों और समुदायों में योगदान कर सकने में सक्षम बनाता है।
- लैंगिक समानता और आर्थिक सशक्तीकरण सहित सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये महिलाओं के रोज़गार को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।
- बच्चों की देखभाल और समर्थनकारी अवसंरचना: WUEGA कार्यस्थलों पर बाल देखभाल सुविधाओं की आवश्यकता पर बल देता है। ये प्रावधान महिलाओं को उनकी देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियों से समझौता किये बिना रोज़गार में भाग ले सकने में सक्षम बनाते हैं।
- सफल ग्रामीण रोज़गार योजनाओं से सबक लेना: WUEGA मनरेगा (MGNREGA) जैसी सफल ग्रामीण रोज़गार योजनाओं से प्रेरणा ग्रहण करते हुए शहरी संदर्भों के लिये सदृश मॉडल को अपना सकता है।
- WUEGA मौजूदा ढाँचे और अनुभवों का लाभ उठाकर कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये सिद्ध रणनीतियों का निर्माण कर सकता है।
- **आर्थिक वृद्धि और विकास की संभावना:** महिलाओं की रोज़गार दर में वृद्धि श्रम शक्ति का विस्तार और उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के रूप में आर्थिक विकास के लिये उत्प्रेरक का कार्य कर सकती है।
  - WUEGA में शहरी महिलाओं की प्रतिभा एवं सक्षमताओं का उपयोग करते हुए व्यापक आर्थिक विकास लक्ष्यों में योगदान कर सकने की क्षमता है।

महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA) को लागू करने में संभावित चुनौतियाँ:

- **वित्तीय बोझ:** गारंटीकृत रोज़गार प्रदान करने से वेतन/मज़दूरी, अवसंरचना विकास (उदाहरण के लिये, कार्यस्थलों पर बाल देखभाल सुविधाएँ) और कार्यक्रम प्रशासन के संबंध में उल्लेखनीय लागत उत्पन्न होती है।
  - उदाहरण के लिये, यदि 500 रुपए दैनिक मज़दूरी के साथ प्रतिवर्ष 150 दिनों के कार्य की कल्पना करें, जिसका वित्तपोषण केंद्र सरकार द्वारा किया जाना है, तो इस पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.5% व्यय करना होगा।
- **स्थानीय क्षेत्र में रोज़गार सृजन:** किसी महिला के निवास से उचित दूरी (उदाहरण के लिये, 5 किमी.) के भीतर पर्याप्त विविध कार्य अवसर का सृजन करना, विशेष रूप से सघन आबादी वाले शहरों में, चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न या हिंसा का भय महिलाओं को रोज़गार के अवसर तलाशने से हतोत्साहित कर सकता है, जिससे कार्यबल में उनकी भागीदारी सीमित हो सकती है।
  - NCRB की वार्षिक अपराध रिपोर्ट 'भारत में अपराध 2022' के आँकड़ों के अनुसार, प्रति एक लाख जनसंख्या पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर 66.4 थी, जबकि ऐसे मामलों में आरोप-पत्र दाखिल करने की दर 75.8 दर्ज की गई थी।
- **कौशल अंतराल:** कई शहरी महिलाओं में औपचारिक रोज़गार के अवसरों के लिये आवश्यक कौशल एवं अनुभव की कमी हो सकती है।
  - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक उनकी पहुँच सीमित हो सकती है, जिससे कौशल स्तरों में असमानताएँ उत्पन्न हो सकती हैं तथा महिलाओं की रोज़गार क्षमता (employability) में बाधा आ सकती है।
- **कानूनी और नौकरशाही संबंधी बाधाएँ:** ऐसे व्यक्तियों या समूहों द्वारा विरोध की स्थिति बन सकती है जो परिवर्तन के प्रतिरोधी हैं और यथास्थिति बनाए रखने की वकालत करते हैं। यह महिलाओं के रोज़गार अधिकारों को बढ़ाने के उद्देश्य से कानून के पारित होने में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **सामाजिक मानदंड और लैंगिक रूढ़िवादिता:** गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक अपेक्षाएँ कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को स्वीकार करने में बाधक बन सकती हैं, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जहाँ पारंपरिक लिंग भूमिकाएँ अधिक प्रकट हैं।

WUEGA के प्रभावी प्रवर्तन के लिये आगे की राह:

- **लिंग-विभेदीकृत डेटा एकत्रित करना:** लिंग-विभेदीकृत डेटा (Gender-disaggregated data) नीति निर्माताओं को शहरी महिलाओं के समक्ष रोज़गार तक पहुँच और कार्यरत बने रहने में विद्यमान विशिष्ट चुनौतियों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
  - संग्रहित डेटा में पसंद की जाती नौकरियों के रुझान, वर्ष के वे दिन जब महिलाएँ इन कार्य अवसरों से संलग्न होती हैं, योजना का चयन करने वाली महिलाओं की शिक्षा का स्तर इत्यादि को दर्ज किया जाना चाहिये।
- **लैंगिक दृष्टि से शहरी रोज़गार योजना तैयार करना:** महिला शहरी रोज़गार गारंटी अधिनियम (WUEGA) को एक सर्वव्यापी कानून के रूप में प्रारूपित किया जाए, जो लिंग-विभेदीकृत डेटा के आधार पर सरकार और प्राप्तकर्त्ताओं दोनों के अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को निरूपित करता हो।
  - विधान में समान कार्य के लिये समान वेतन अनिवार्य किया जाना चाहिये, जहाँ यह सुनिश्चित करना चाहिये कि महिलाओं को समान कार्य भूमिकाओं एवं ज़िम्मेदारियों के लिये अपने पुरुष समकक्षों के समान वेतन प्राप्त हो।
- **संसाधन आवंटन और क्षमता निर्माण:** WUEGA के कार्यान्वयन के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित किया जाए ताकि वेतन, प्रशासनिक व्यय, अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण पहल के लिये पर्याप्त धन उपलब्ध हो।
  - WUEGA के प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये सरकारी अधिकारियों, कार्यक्रम प्रशासकों और लाभार्थियों के लिये प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान किये जाएँ।
- **कार्यान्वयन के लिये चरणबद्ध दृष्टिकोण:** WUEGA को लागू करने की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिये चुनिंदा शहरी क्षेत्रों में पायलट कार्यक्रम शुरू किये जाएँ। विभिन्न शहरी क्षेत्रों की तैयारी का आकलन करने और संभावित चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करने के लिये व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित किये जाएँ।
  - WUEGA का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाए। इसका आरंभ शहरी क्षेत्रों से हो जहाँ अवसंरचना एवं समर्थनकारी प्रणालियाँ अपेक्षाकृत सुविकसित होती हैं और फिर धीरे-धीरे इसे अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जाए।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना:** सुरक्षा चिंताओं को कम करने और अधिक कार्यबल भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उपाय लागू किये जाएँ, जिनमें पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, निगरानी प्रणाली एवं पुलिस गश्त बढ़ाना शामिल है।
- जागरूकता बढ़ाना और दृष्टिकोण में बदलाव लाना: लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और कार्यबल में महिलाओं की भूमिकाओं एवं क्षमताओं के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिये जागरूकता अभियान तथा संवेदीकरण कार्यक्रम संचालित किये जाएँ।

निष्कर्ष:

भारत का संविधान समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का समर्थन करता है, जहाँ रोज़गार में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के लिये सकारात्मक कार्रवाई का उपबंध किया गया है। WUEGA को लागू करना लैंगिक समानता और सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के इन संवैधानिक अधिदेशों एवं नैतिक दायित्वों के अनुरूप है।

Q16. सकारात्मक परिवर्तनों एवं चुनौतियों दोनों पर बल देते हुए पारंपरिक संस्कृतियों, पहचानों तथा सामाजिक संरचनाओं पर वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभावों की चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- वैश्वीकरण का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- वैश्वीकरण से संबंधित सकारात्मक परिवर्तनों एवं चुनौतियों को बताइये।
- पारंपरिक संस्कृतियों, पहचानों एवं सामाजिक संरचनाओं पर वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभावों की चर्चा कीजिये।
- उचित निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:
- वैश्वीकरण का तात्पर्य विश्व भर के देशों, अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों एवं लोगों के बीच बढ़ती अंतर्संबंध एवं परस्पर निर्भरता की प्रक्रिया से है। यह प्रौद्योगिकी, संचार, परिवहन और व्यापार में प्रगति से प्रेरित है, जिससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण हो रहा है।

मुख्य भाग:

सकारात्मक परिवर्तन:
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान और विविधता:**
  - वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक प्रथाओं, विचारों और मूल्यों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाया है, जिससे समाज विविधता से समृद्ध हुआ है।
  - उदाहरण: पश्चिमी देशों में भारत के योग एवं ध्यान जैसे मूल्यों की लोकप्रियता वैश्वीकरण के सकारात्मक सांस्कृतिक आदान-प्रदान को दर्शाती है।
- **आर्थिक अवसर:**
  - वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप नए आर्थिक अवसर सृजित हुए, जिससे कई क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार देखा गया है।
  - उदाहरण: भारत में आईटी उद्योगों के उदय से रोज़गार के अवसर सृजित हुए हैं जिससे अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलने के साथ पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
- **तकनीकी प्रगति:**
  - वैश्वीकरण से तकनीकी प्रगति को गति मिली है, जिससे संचार एवं सूचना तक पहुँच में सुधार हुआ है।
  - उदाहरण: इंटरनेट के प्रसार से शिक्षा एवं संचार में क्रांति आई है, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में पारंपरिक संस्कृतियों को लाभ मिला है।

चुनौतियाँ:
- **सांस्कृतिक क्षरण :**
  - वैश्वीकरण के कारण पारंपरिक संस्कृतियों और भाषाओं का क्षरण हुआ है, क्योंकि पश्चिमी सांस्कृतिक मूल्य प्रभावी हो गए हैं।
  - उदाहरण: फास्ट फूड की लोकप्रियता से कई समाजों की पारंपरिक आहार प्रथाओं में गिरावट आई है।
- **पहचान का क्षरण:**
  - वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप कुछ समुदायों की सांस्कृतिक पहचान खत्म हो गई है, क्योंकि वे अधिक वैश्वीकृत जीवनशैली अपना रहे हैं।
  - उदाहरण: वैश्विक मीडिया और उपभोक्तावाद के प्रभाव के कारण विश्व भर के स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक विरासत का क्षरण हो रहा है।
- **सामाजिक असमानता:**
  - वैश्वीकरण से समाजों के भीतर और उनके बीच सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा मिला है, जिससे कुछ समूह हाशिए पर चले गए हैं।
  - उदाहरण: भारत में वैश्वीकरण से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को बढ़ावा मिला है, जिससे सामाजिक तनाव और असमानताओं में वृद्धि हुई है।

सामाजिक प्रभाव:
- **पारिवारिक संरचनाओं पर प्रभाव:**
  - वैश्वीकरण से पारंपरिक पारिवारिक संरचनाओं में बदलाव (प्रवासन में वृद्धि और लैंगिक भूमिकाओं में बदलाव के साथ) आया है।
  - उदाहरण: शहरी क्षेत्रों में एक से अधिक वयस्क सदस्यों की आय वाले परिवारों से कई समाजों में पारंपरिक पारिवारिक गतिशीलता को नया आकार मिल रहा है।
- **बदलते सामाजिक मानदंड:**
  - वैश्वीकरण ने सामाजिक मानदंडों एवं मूल्यों को प्रभावित किया है, जिससे लैंगिक भूमिका जैसे मुद्दों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आया है।
  - उदाहरण: #MeToo आंदोलन से विश्व भर में यौन उत्पीड़न तथा लैंगिक समानता के संबंध में सांस्कृतिक परिवर्तनों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।
- **पर्यावरणीय चिंता:**
  - वैश्वीकरण से पर्यावरणीय क्षरण में वृद्धि हुई है, जिससे पारंपरिक आजीविका के साथ सांस्कृतिक प्रथाओं पर प्रभाव पड़ा है।
  - उदाहरण: औद्योगीकरण के कारण वनों की कटाई एवं प्रदूषण से कई स्वदेशी समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली खतरे में पड़ रही है।

निष्कर्ष:

वैश्वीकरण का पारंपरिक संस्कृतियों, पहचानों एवं सामाजिक संरचनाओं पर गहन सामाजिक प्रभाव पड़ा है। हालाँकि इससे सांस्कृतिक

आदान-प्रदान के साथ आर्थिक अवसरों के रूप में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं लेकिन इससे सांस्कृतिक एवं सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियाँ भी प्रस्तुत हुई हैं। वैश्वीकरण के आलोक में समाज को अपनी सांस्कृतिक विरासत तथा पहचान को संरक्षित करते हुए इन चुनौतियों से निपटना महत्वपूर्ण है।

Q17. जलवायु परिवर्तन महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन को संबोधित करने में लैंगिक दृष्टि से ग्रहणशील नीतियों की भूमिका पर चर्चा करें। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- जलवायु परिवर्तन का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- महिलाओं के जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिये।
- जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन को संबोधित करने में लैंगिक-संवेदनशील नीतियों की भूमिका का वर्णन कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य तापमान और जलवायु पैटर्न में दीर्घकालिक परिवर्तन से है। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान वृद्धि से हिम का तीव्रता के साथ पिघलना है, जिससे सागरीय स्तर बढ़ रहा है। जलवायु संकट "लैंगिक-तटस्थता" (Gender Neutral) नहीं है। महिलाएँ और लड़कियाँ जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े प्रभावों का अनुभव करती हैं, जो मौजूदा लैंगिक असमानताओं को बढ़ाती है और उनकी आजीविका, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिये अद्वितीय संकट उत्पन्न करती है।

मुख्य भाग:

जलवायु परिवर्तन का महिलाओं के जीवन पर प्रभाव:

- **कृषि क्षेत्र में महिलाओं पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:**
  - **बढ़ती खाद्य असुरक्षा:**
    - महिलाएँ घरों और समुदायों में खाद्य उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे कि फसल की विफलता, जल की कमी और वर्षा के पैटर्न में बदलाव महिलाओं की अपने परिवारों के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता को सीधे प्रभावित कर सकते हैं।
    - चरम मौसमी घटनाओं और उसके बाद जल चक्र पैटर्न में बदलाव से सुरक्षित पेयजल तक पहुँच गंभीर रूप से प्रभावित होती है, जिससे कठिन परिश्रम में वृद्धि हुई है, महिलाओं और लड़कियों के उत्पादक कार्य और स्वास्थ्य देखभाल के लिये समय कम हो जाता है।
  - **आर्थिक निहितार्थ:**
    - कृषि में महिलाओं के लिये जलवायु परिवर्तन के आर्थिक प्रभाव पर्याप्त हैं। बाढ़ और चरम मौसमी घटनाएँ फसलों और बुनियादी ढाँचे को तबाह कर सकती हैं, जिससे महिलाओं को परिवार की देखभाल और वैकल्पिक आय सृजन को प्राथमिकता देने के लिये मज़बूर होना पड़ता है। चरम मौसमी घटनाओं के कारण फसल की उत्पादकता में कमी से आय में कमी आती है, जिससे मौजूदा लैंगिक असमानताओं में और वृद्धि हो जाती है।
- **लैंगिक हिंसा से प्रत्यक्षता:**
  - JAMA मनोचिकित्सा में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन में दक्षिण एशिया में बढ़ते तापमान और बढ़ती अंतरंग साथी हिंसा (IPV) के बीच एक संबंध पाया गया है।
    - यदि औसत वार्षिक तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो वर्ष 2090 तक IPV में अनुमानित 23.5% की वृद्धि के साथ भारत को सबसे अधिक प्रभावित होने की उम्मीद है। यह नेपाल (14.8%) और पाकिस्तान (5.9%) में अनुमानित वृद्धि से काफी अधिक है।
    - अध्ययन में यह भी पाया गया कि भारत में पूर्व में हुए प्रत्येक 1°C तापमान वृद्धि पर शारीरिक हिंसा में 8% की वृद्धि और यौन हिंसा में 7.3% की वृद्धि देखी जा रही है।
- **बाल विवाह की बढ़ती दर:**
  - विभिन्न देशों और क्षेत्रों में विभिन्न समुदायों में बाल विवाह को आपदा की स्थिति से निपटने के साधन के रूप में देखा गया है, उदाहरण के लिये बाँग्लादेश, इथियोपिया और केन्या में धन या संपत्ति के साधन के रूप में।
  - महाराष्ट्र के ग्रामीण हिस्सों में, जल की कमी ने पुरुषों को 'पानी बाई' (जल लेकर आने वाली पत्नियाँ) की तलाश करने के लिये प्रेरित किया है, जहाँ वे घर के लिये जल एकत्रित करने में मदद करने के लिये एक से अधिक महिलाओं से विवाह करते हैं।
- **लंबे समय तक चलने वाली गर्म लहरों और प्रदूषण का प्रभाव:**
  - पिछला दशक मानव इतिहास में अब तक का सबसे गर्म दशक रहा है और भारत जैसे देशों को अभूतपूर्व गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय तक गर्मी गर्भवती महिलाओं के लिये विशेष रूप से खतरनाक है (समय से पहले जन्म और एक्लम्पसिया (Eclampsia) का खतरा बढ़ जाता है)।

- इसी तरह, वायु प्रदूषकों (घरेलू और बाहरी) के संपर्क में आने से महिलाओं के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, जिससे श्वसन और हृदय संबंधी रोग होते हैं, साथ ही अजन्मे बच्चे का शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास भी प्रभावित होता है।

- **जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन को संबोधित करने में लैंगिक-संवेदनशील नीतियों की भूमिका:**
- **असमान कमज़ोरियों को कम करना:** महिलाएँ प्राय: जल संग्रहण, खाद्य सुरक्षा और घरेलू कल्याण के लिये ज़िम्मेदार होती हैं। जलवायु परिवर्तन इन क्षेत्रों को बाधित करता है, जिससे काम का बोझ, कुपोषण और महिलाओं के लिये स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाता है।
  - संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, विश्व भर में महिलाएँ 75 प्रतिशत से अधिक अवैतनिक देखभाल कार्य करती हैं, जो पुरुषों की तुलना में 3.2 गुना अधिक है।
  - निर्णय लेने में महिलाओं को शामिल करने वाली नीतियाँ जलवायु परिवर्तन नीतियों को अपनाने में मदद कर सकती हैं और महिलाओं की आवश्यकताओं को लाभ पहुँचाकर शमन और अनुकूलन प्रयासों को मज़बूत कर सकती हैं।
- **परिवर्तनकारी अभिकर्मकों के रूप में महिलाएँ:** महिलाओं के पास संसाधन प्रबंधन और सामुदायिक लचीलेपन पर मूल्यवान ज्ञान और दृष्टिकोण हैं। उन्हें सशक्त बनाने से जलवायु चुनौतियों से निपटने की हमारी सामूहिक क्षमता मज़बूत होती है।
  - भूटान ने विभिन्न मंत्रालयों के साथ-साथ महिला संगठनों को लैंगिक समानता और जलवायु परिवर्तन पहलों के समन्वय और कार्यान्वयन में सक्षम बनाने के लिये लैंगिक आधारित बिंदुओं को प्रशिक्षित किया है।
- **सशक्तीकरण और समानता:** लैंगिक-संवेदनशील नीतियाँ महिलाओं को सशक्त बनाती हैं, अधिक सामाजिक समानता को बढ़ावा देती हैं और समग्र रूप से अधिक लचीले समाज का निर्माण करती हैं। जब महिलाएँ उन्नति करती हैं, तो समुदाय उन्नति करते हैं।
  - चिली, युगांडा, लेबनान, कंबोडिया और जॉर्जिया जैसे देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) देने के संदर्भ में जलवायु कार्रवाई में लैंगिक विचारों को रणनीतिक रूप से एकीकृत करने पर प्रगति कर रहे हैं।

निष्कर्ष:

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये लैंगिक-संवेदनशील नीतियाँ एक रणनीतिक आवश्यकता है। महिलाओं को सशक्त बनाकर और यह सुनिश्चित करके कि उनकी आवाज सुनी जाए, हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जहाँ हर कोई एक स्थायी और न्यायसंगत दुनिया में योगदान दे और लाभान्वित हो। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण एक ऐसे भविष्य के निर्माण के लिये महत्त्वपूर्ण है, जहाँ जलवायु कार्रवाई सभी के लिये काम करे।

Q18. जनसांख्यिकीय संक्रमण को परिभाषित करते हुए जनसांख्यिकीय लाभांश की अवधारणा को समझाइये। संभावित आर्थिक विकास तथा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता के संदर्भ में भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- जनसांख्यिकीय संक्रमण का परिचय देते हुए उत्तर प्रारंभ कीजिये।
- जनसांख्यिकीय लाभांश की अवधारणा का वर्णन कीजिये।
- संभावित आर्थिक विकास तथा वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता के संदर्भ में भारत के जनसांख्यिकीय परिवर्तन के महत्त्व का मूल्यांकन कीजिये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

जनसांख्यिकीय संक्रमण का आशय औद्योगीकरण एवं आधुनिकीकरण के दौर से गुज़रते हुए उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म तथा मृत्यु दर की ओर संक्रमण से है। इसके चार चरण होते हैं: पहले चरण में उच्च जन्म और मृत्यु दर, उसके बाद दूसरे चरण में मृत्यु दर में गिरावट के साथ जन्म दर अधिक बनी रहती है, फिर तीसरे चरण में जन्म दर में गिरावट देखी जाती है तथा अंत में चौथे चरण में निम्न जन्म एवं मृत्यु दर होती है।

मुख्य भाग:

जनसांख्यिकीय लाभांश को समझना:

- जनसांख्यिकीय संक्रमण के दौरान, जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति (विशेष रूप से तीसरे चरण) में जब किसी देश की कार्यशील जनसंख्या (15-64 वर्ष) और आश्रित जनसंख्या (15 से कम एवं 64 वर्ष से अधिक) से अधिक हो जाती है, देखने को मिलती है ।
  - यह स्थिति आश्रित आबादी के सापेक्ष बड़े कार्यबल के कारण त्वरित आर्थिक विकास की संभावना उत्पन्न करती है।

भारत के जनसांख्यिकीय परिवर्तन का महत्त्व:

- **आर्थिक विकास की संभावना:**
  - भारत का जनसांख्यिकीय परिवर्तन इसकी बड़ी और युवा आबादी के कारण महत्त्वपूर्ण है। लगभग 29 वर्ष की औसत आयु के साथ, भारत विश्व स्तर पर सबसे युवा आबादी में से एक है।

- यह जनसांख्यिकीय संरचना पर्याप्त जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान करती है क्योंकि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कार्यबल में प्रवेश करता है, जिससे उत्पादकता और आर्थिक विकास की संभावना बढ़ जाती है।

- **बढ़ी हुई श्रम शक्ति:**
  - अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी कामकाजी उम्र वाली आबादी में से एक होगा, जो एक विशाल श्रम शक्ति प्रदान करेगा और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देगा।
  - इस जनसांख्यिकीय लाभ का उपयोग बढ़ी हुई खपत, बचत और निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिये किया जा सकता है।
- **उत्पादकता को बढ़ावा:**
  - एक युवा आबादी नवाचार, उद्यमशीलता और तकनीकी प्रगति के माध्यम से उत्पादकता के स्तर को बढ़ा सकती है।
  - जनसांख्यिकीय लाभांश भारत के लिये शिक्षा, कौशल विकास और रोज़गार सृजन में निवेश करके अपनी मानव पूंजी का लाभ उठाने का अवसर उत्पन्न करता है, जिससे उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता का उच्च स्तर प्राप्त होता है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता:**
  - भारत का जनसांख्यिकीय परिवर्तन वैश्विक क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ प्रदान करता है। विविध कौशल और प्रतिभा वाला एक बड़ा कार्यबल विदेशी निवेश को आकर्षित कर सकता है, व्यापार को बढ़ावा दे सकता है तथा वैश्विक बाज़ार में भारत की स्थिति को मज़बूत कर सकता है।
  - अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाते हुए, भारत सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और सेवाओं जैसे उद्योगों में एक प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में उभर सकता है।
- **सामाजिक विकास के अवसर:**
  - जनसांख्यिकीय लाभांश स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन सहित सामाजिक विकास पहल के लिये अवसर प्रस्तुत करता है।
  - मानव पूंजी विकास में निवेश करने से संपूर्ण समाज में समावेशी विकास और लाभों का समान वितरण सुनिश्चित हो सकता है, जिससे सामाजिक एकजुटता एवं सतत् विकास को बढ़ावा मिलेगा।

चुनौतियाँ और शमन रणनीतियाँ:

- **बेरोज़गारी और अल्परोज़गार:**
  - जनसांख्यिकीय लाभांश के बावजूद, भारत को विशेषकर युवाओं और महिलाओं के बीच बेरोज़गारी एवं अल्परोज़गार से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - इस मुद्दे के समाधान के लिये, सरकार को कौशल विकास कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोज़गार सृजन के लिये एक सक्षम वातावरण बनाने की आवश्यकता है।
- **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा:**
  - भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश का पूरी तरह से लाभ उठाने में एक और चुनौती गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुँच है।
  - कार्यबल को आवश्यक कौशल युक्त बनाने, उनके स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के बुनियादी ढाँचे, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश आवश्यक है।
- **समावेशी विकास नीतियाँ:**
  - मज़बूत समावेशी विकास नीतियों का अभाव संपूर्ण समाज में जनसांख्यिकीय परिवर्तन के लाभों के समान वितरण में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
  - हाशिये पर रहने वाले समुदायों, महिलाओं और ग्रामीण आबादी के लिये लक्षित हस्तक्षेप असमानताओं को दूर करने तथा सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं।
- **सतत् विकास:**
  - सतत् विकास रणनीतियों का कार्यान्वयन अतिरिक्त चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, जो जनसांख्यिकीय लाभांश की प्राप्ति के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिये पर्यावरणीय संसाधनों के संरक्षण में बाधा उत्पन्न करती हैं।
  - नवीकरणीय ऊर्जा, सतत् कृषि और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना पर्यावरणीय अखंडता से समझौता किये बिना दीर्घकालिक आर्थिक विकास का समर्थन कर सकता है।

निष्कर्ष:

भारत का जनसांख्यिकीय परिवर्तन त्वरित आर्थिक विकास, बढ़ी हुई वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता और सामाजिक विकास के लिये एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है। चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करके और लक्षित नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू करके, भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है तथा 21वीं सदी की वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक शक्ति केंद्र के रूप में उभर सकता है।

Q19. भारत में वृद्धजनों की बढ़ती संख्या के संबंध में निर्भरता अनुपात की अवधारणा पर चर्चा कीजिये। भारत में वृद्धजनों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करते हुए इनके समाधान हेतु उपाय बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- निर्भरता अनुपात की अवधारणा का परिचय देते हुए उत्तर की शुरुआत कीजिये।
- भारत में बुज़ुर्गों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान कीजिये।
- भारत में बुज़ुर्ग आबादी की चिंताओं को दूर करने के लिये कार्रवाई योग्य कदम सुझाइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:
- निर्भरता अनुपात कार्यशील आयु की आबादी (15-64 वर्ष) पर आश्रितों (15 वर्ष से कम और 64 वर्ष से अधिक के व्यक्ति) के अनुपात को संदर्भित करता है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग (वर्ष 2021) के अनुसार, भारत का निर्भरता अनुपात वर्ष 2021 में 61% से घटकर वर्ष 2036 तक 53% होने का अनुमान है। हालाँकि यह प्रतीत होता है कि सकारात्मक प्रवृत्ति बुज़ुर्ग आबादी की बढ़ती पूर्ण संख्या के एक महत्त्वपूर्ण पहलू पर हावी है।

मुख्य भाग:
- **भारत में बुज़ुर्गों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ:**
  - **स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को विकसित करना:**
    - बुज़ुर्गों को विभिन्न प्रकार की विशिष्ट चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता होती है, जो प्राय: घर पर ही प्रदान की जाती हैं।
    - इसमें वृद्धावस्था विशेषज्ञों के साथ टेलीमेडिसिन परामर्श, गतिशीलता और पुनर्वास के लिये फिज़ियोथेरेपी, अकेलेपन एवं अवसाद को दूर करने के लिये मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, यात्रा से बचने के लिये ऑन-साइट निदान तथा आवश्यक दवाओं तक सुविधाजनक पहुँच शामिल है।
  - **अभिगम्यता अंतर:**
    - भारत की स्वास्थ्य देखभाल पहुँच और गुणवत्ता (HAQ) सूचकांक स्कोर 41.2 (वर्ष 2016) वैश्विक औसत 54 अंक से काफी नीचे है।
    - इसका अर्थ है देश भर में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, विशेषत: छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँच की यह कमी, प्रमुख शहरों के बाहर रहने वाली बुज़ुर्ग आबादी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।
  - **सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएँ:**
    - सामाजिक कारक बुज़ुर्गों के लिये स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में बाधा डाल सकते हैं।
    - पारिवारिक उपेक्षा के उदाहरण, स्वयं बुज़ुर्गों के बीच निम्न शिक्षा स्तर और सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताएँ जो पेशेवर सहायता प्राप्त करने को हतोत्साहित करती हैं, समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप में बाधाएँ उत्पन्न कर सकती हैं।
  - **सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की सीमाएँ:**
    - मौजूदा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम जैसे आयुष्मान भारत और सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ बुज़ुर्ग आबादी के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को असुरक्षित बनाती हैं।
    - नीति आयोग की एक रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि 40 करोड़ भारतीयों के पास स्वास्थ्य देखभाल के लिये कोई वित्तीय कवरेज नहीं है। यहाँ तक कि मौजूदा पेंशन योजनाएँ भी अल्प सहायता प्रदान करती हैं, कुछ राज्य केवल ₹350-₹400 प्रति माह प्रदान करते हैं, जहाँ सार्वभौमिकता का अभाव होता है।
  - **वृद्धावस्था का स्त्रीकरण (The Feminization of Aging):**
    - एक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति "वृद्धावस्था का स्त्रीकरण" है, जिसमें महिलाएँ पुरुषों से अधिक दर से जीवित रहती हैं। यह घटना स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं और विशेष रूप से बुज़ुर्ग महिलाओं के लिये तैयार की गई सामाजिक सहायता प्रणालियों के संदर्भ में अनूठी चुनौतियाँ उत्पन्न करती हैं।

सम्मानजनक भविष्य के लिये कार्रवाई योग्य समाधान:
- **सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना:**
  - राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY) जैसी योजनाओं के तहत पेंशन कवरेज का विस्तार आवश्यक वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
  - केरल राज्य ने अपनी अग्रणी करुणा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से बुज़ुर्गों के लिये सामाजिक सुरक्षा का एक सफल मॉडल लागू किया है।
- **सक्रिय वृद्धावस्था को बढ़ावा देना (Promoting Active Aging):**
  - सामाजिक गतिविधियों, कौशल विकास कार्यक्रमों और अंतर-पीढ़ीगत स्वयंसेवा में वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने से सामाजिक भेदभाव का सामना किया जा सकता है तथा मानसिक कल्याण को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- **वृद्धावस्था देखभाल में निवेश:**
  - वृद्धावस्था विशेषज्ञों की संख्या बढ़ाना, बुज़ुर्गों के लिये समर्पित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ स्थापित करना और टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ावा देना, उनकी विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है।

- **आयु-अनुकूल बुनियादी ढाँचे का निर्माण:**
  - सार्वजनिक स्थानों और परिवहन प्रणालियों को बुज़ुर्गों के लिये सुलभ बनाने से उनकी गतिशीलता एवं स्वतंत्रता में सुधार हो सकता है। अधिक समावेशी समाज के निर्माण के लिये समुदायों को बुज़ुर्गों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाना महत्त्वपूर्ण है।
  - हाल ही में केरल के कोच्चि शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा 'आयु-अनुकूल शहरों' के वैश्विक नेटवर्क का सदस्य घोषित किया गया है।
    - आयु-अनुकूल शहर WHO के आयु-अनुकूल दृष्टिकोण के मूल्यों और सिद्धांतों को साझा करते हैं तथा बढ़ावा देते हैं, जो आयु-अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिये प्रतिबद्ध हैं।

निष्कर्ष:

भारत की वृद्ध आबादी एक अधिक समावेशी समाज के निर्माण का अवसर प्रस्तुत करती है। बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन की गई नीतियों, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा में निवेश एवं सहायक वातावरण को बढ़ावा देकर बुज़ुर्गों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सक्रिय रूप से समाधान करके, भारत अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिये एक सम्मानजनक भविष्य सुनिश्चित कर सकता है। जैसे-जैसे राष्ट्र इस रजत लहर (Silver Wave) पर आगे बढ़ता है, वैसे ही एक समग्र दृष्टिकोण जो आर्थिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशन और सुलभ स्वास्थ्य सेवा को जोड़ता है, यह एक ऐसे समाज के निर्माण में सहायक होगा जो अपने बुज़ुर्गों को महत्त्व प्रदान करता है तथा उनका सम्मान करता है।

Q20. भारत में महिला उद्यमियों के समक्ष आने वाली सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने तथा उसे उन्नत बनाने के क्रम में सशक्त बनाने की रणनीतियाँ बताइये। (250 शब्द)

उत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:
- भारत में महिला उद्यमियों के आँकड़े देते हुए परिचय लिखिये।
- उनके समक्ष आने वाली सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का वर्णन कीजिये।
- महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिये रणनीति सुझाइये।
- तद्नुसार निष्कर्ष लिखिये।

परिचय:

महिला उद्यमी महिलाओं के नेतृत्व वाली आर्थिक वृद्धि और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालाँकि भारत में केवल 14% उद्यमी महिलाएँ हैं। उन्हें अभी भी महत्त्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है जो सफल व्यवसाय शुरू करने तथा विकसित करने की उनकी क्षमता में बाधा डालती हैं।

मुख्य भाग:

महिला उद्यमियों के समक्ष आने वाली सामाजिक और आर्थिक बाधाएँ:

- **सामाजिक बाधाएँ**
  - **लैंगिक भेदभाव और पितृसत्तात्मक मानसिकता:** राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के एक सर्वेक्षण के अनुसार, केवल 14% भारतीय व्यवसायों का स्वामित्व महिलाओं के पास है।
    - हालिया रिपोर्टों में यह बताया गया है कि 63% महिलाएँ उद्यमी बनने का सपना देखती हैं, लेकिन फिर भी 74% निवेश के लिये वह परिवार पर निर्भर हैं।
  - काँच के वितान (Glass Ceiling) भी उनकी आकांक्षाओं के लिये एक महत्त्वपूर्ण बाधा प्रस्तुत करते हैं।
    - ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पितृसत्तात्मक मानदंड अधिक गहराई से जड़ें जमाए हुए हैं, वहाँ महिला उद्यमियों का प्रतिशत और भी कम है।
  - **परिवार के समर्थन की कमी और गतिशीलता प्रतिबंध:** महिलाएँ व्यवसाय और पारिवारिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाने के लिये संघर्ष करती हैं। सीमित गतिशीलता नेटवर्किंग एवं अवसरों की खोज को प्रतिबंधित करती है।
  - **शिक्षा और कौशल विकास तक सीमित पहुँच:** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 71.5% है, जबकि पुरुषों के लिये यह 84.7% है, जो शैक्षिक अंतर को उजागर करता है।
    - बिहार एवं झारखंड जैसे राज्यों में जहाँ शिक्षा में लैंगिक अंतर अधिक महत्त्वपूर्ण है, महिला उद्यमियों का प्रतिशत और भी कम है।
  - **सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी चिंताएँ:** सार्वजनिक स्थानों पर उत्पीड़न या हिंसा का खतरा महिलाओं को उद्यमशील गतिविधियों को आगे बढ़ाने से हतोत्साहित करता है।
- **आर्थिक बाधाएँ:**
  - **वित्त और ऋण तक सीमित पहुँच:** एक हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत के टियर-2 और 3 शहरों में केवल 3% महिला उद्यमियों के पास बाहरी फंडिंग तक पहुँच थी।
    - उनमें बैंकिंग साक्षरता का अभाव है। भारत में प्रत्येक पाँच में से 1 महिला के पास बैंक खाते तक पहुँच नहीं है। (ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन)।

- **बाज़ारों और नेटवर्क तक अपर्याप्त पहुँच:** पुरुष-प्रधान व्यावसायिक नेटवर्क और बाज़ार की जानकारी से वंचित रहना महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों की पहुँच एवं विकास क्षमता को सीमित करता है।
  - विनिर्माण और निर्माण जैसे कुछ उद्योगों में उद्योग संघों एवं व्यापार नेटवर्क में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 5-10% जितना कम है।
- **संपत्ति के अधिकार और स्वामित्व का अभाव:** महिलाओं के पास प्राय: संपत्ति या परिसंपत्तियों पर स्वामित्व अधिकार नहीं होते हैं। यह वित्तपोषण के लिये संपार्श्विक के रूप में परिसंपत्तियों का उपयोग करने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है।
  - भारत में 62.5% पुरुषों की तुलना में 42.3% महिलाओं के पास घर है। (NFHS-5)
- **घरेलू एवं देखभाल संबंधी ज़िम्मेदारियों का असमान वितरण:** एक औसत भारतीय महिला औसत पुरुष की तुलना में अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम पर लगभग 10 गुना अधिक समय व्यतीत करती है (NSO द्वारा किया गया समय उपयोग सर्वेक्षण)।

महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की रणनीतियाँ:

- **जेंडर-लेंस निवेश को लागू करना:** वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजेल निवेशकों को जेंडर-लेंस निवेश दृष्टिकोण अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना तथा प्रोत्साहित करना, जो महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों या महिलाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले व्यवसायों में निवेश को प्राथमिकता देता है।
- **महिला उद्यमिता क्षेत्र (WEZ) विकसित करना:** ये क्षेत्र रियायती किराये की दरें, साझा सुविधाओं (जैसे- सह-कार्य स्थान, विनिर्माण इकाइयाँ) तक पहुँच और विशेष सहायता सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।
  - तेलंगाना राज्य ने भारत के पहले महिला उद्यमिता केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव दिया है।
- **डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-कॉमर्स का लाभ उठाना:** महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों से उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने तथा बेचने के लिये विशेष रूप से डिज़ाइन किये गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवं मार्केटप्लेस विकसित करना।
  - ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म "शी प्रेन्योर्स" विशेष रूप से महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों के उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करता है।
- **महिला उद्यमी राजदूतों (Ambassador) की स्थापना करना:** फाल्गुनी नायर और किरण मजूमदार-शॉ जैसी सफल महिला उद्यमियों को उनके संबंधित उद्योगों या क्षेत्रों में राजदूत या रोल मॉडल के रूप से परिचित कराना।
  - ये राजदूत मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकते हैं, महत्त्वाकांक्षी उद्यमियों को प्रेरित कर सकते हैं तथा व्यवसाय में महिलाओं को समर्थन देने वाली नीतियों और पहलों का समर्थन कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

इन सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं को दूर करके और लक्षित सहायता प्रदान करके, भारत महिला-नेतृत्व विकास के माध्यम से महिला उद्यमियों की विशाल क्षमता को खोल सकता है। इससे न केवल लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि देश की आर्थिक वृद्धि में भी महत्त्वपूर्ण योगदान मिलेगा।